कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 21.03.2013 को सम्पन्न हुई, की कार्यवृत्त

स्थानः नगर निगम,कानपुर स्थित समिति कक्ष

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/355/सचिव (न.नि.)/12–13 दिनांक : 30-03-2013

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री..,

पार्षद वार्ड सं0........./सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो दिनांक 21.03.2013 दिन गुरूवार को सम्पन्न हुई, की कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 72 तक।

(विजय कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त प्रथम/द्वितीय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक– 21.03.2013 दिन गुरूवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थिति समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

1.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	सभापति / उप सभापति
2.	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
3.	श्रीमती गीता देवी	पार्षद / सदस्य
4.	श्री जितेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
5.	श्री धर्मनाथ मिश्रा	पार्षद / सदस्य
6.	मो0 वसी	पार्षद / सदस्य
7.	श्री इरफान खॉन	पार्षद / सदस्य
8.	श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
9.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
10.	श्री संदीप जायसवाल	पार्षद / सदस्य
11.	मो0 सलीम बेग	पार्षद / सदस्य
12.	श्रीमती उत्तम दुबे	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

1. श्री एन0के0 सिंह चौहान	नगर आयुक्त
2. श्री उमाकान्त त्रिपाठी	अपर नगर आयुक्त
3. श्री उदय नारायण तिवारी	अपर नगर आयुक्त
4. श्री डी0 के0 गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5. डॉ0 एल0 के0 तिवारी	मुख्य नगर स्वा0अधि0
6. श्री जे0 एन0 श्रीवास्तव	मुख्य अभियंता
7. श्री आर0 एम0 अस्थाना	मुख्य अभियंता (वि0 / यॉ0)
8. डॉ0 यू0 पी0 अग्रवाल	नगर स्वा0अधि0 (चि0)
9. श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक 'जलकल विभाग'
10.श्री ए0के0शुक्ला	फाइनेंस आफीसर 'जलकल'

नगर आयुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुये माननीय महापौर जी द्वारा प्रेषित पत्र को पढ़ कर बताया कि आज की बैठक में माननीय महापौर जी प्रतिभाग नही करेंगे उनके स्थान पर श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू'' सभापति के रूप में बैठक का संचालन करेंगे। सभापति के रूप में श्री महेन्द्र पाण्डेय से सहमति लेकर सभी सदस्यों से कहा कि सर्वप्रथम कार्यसूची के प्रस्तावों पर विचार–विमर्श कर लिया जाये, तत्पश्चात् अन्त में मूल बजट वित्तीय वर्ष 2013–14 मे विभिन्न मदों में दर्शाये गये तखमीनों पर विचार–विमर्श किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या–98 श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार (पार्षद) एवं 8 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करना:–**

प्रस्ताव

मेरे वार्ड सं0 27 सरोजनी नगर में उ0प्र0 की सबसे अधिक सिन्धी समुदाय की आबादी रहती है। सिन्धी समाज के आस्था के प्रतीक भगवान झूलेलाल द्वार एवं मूर्ति की स्थापना बैंक आफ बड़ौदा चौराहे शास्त्री नगर में कराने की कृपा करें, जिससे आपका और नगर निगम का सदैव मैं और सिन्धी समाज अभारी रहूँगा।

ह0....सभापति

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि सम्भवतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति लगाये जाने को प्रतिबन्धित कर दिया है। अतएव विधिक राय लेकर कार्यवाही की जाये।

.... निर्णय लिया गया कि विधिक राय लेकर कार्यवाही कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या–99 श्री बी0डी0राय, महामंत्री, आर्यभट्ट विकास समिति, 71/185, केनाल रोड, कानपुर द्वारा प्रस्तावित एवं, 08 मा0 पार्षदगणों द्वारा हस्ताक्षरित व मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

प्रस्ताव

विश्व विख्यात खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्य भट्ट के नाम से निम्नलिखित चौराहों में से एक चौराहे का नाम करण उनके नाम से करवाने का कष्ट करें, उससे सम्बन्धित सुन्दरीकरण का सम्पूर्ण व्यय हमारी संस्था वहन करेगी।

1. हीर पैलेस (नरोना क्रासिंग) चौराहा
2. एम0जी0कालेज एवं लॉ कालेज चौराहा, सिविल लाइन्स
3. किदवई नगर थाना चौराहा, सुभाष स्मारक के पास।

आशा ही नही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उपरोक्त चौराहों में एक चौराहें का नामकरण आर्यभट्ट के नाम से करवाने का कष्ट करेगें।

नगर आयुक्त ने कहा कि मार्गो के नामकरण वाले प्रस्तावों में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित व्यक्ति का कानपुर नगर के प्रति क्या सहयोग रहा है, तदानुसार ही कार्यवाही कराई जाये।

.... निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या–100 श्री अखिलेश अवस्थी, मंत्री, राम प्रसाद त्रिपाठी स्मारक समिति (रजि0) उ0प्र0, बारादरी 4, 10 ब्लाक गोविन्द नगर,, कानपुर द्वारा प्रस्तावित एवं, मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

प्रस्ताव

विषयः– मजदूर नेता अमर शहीद राम प्रसाद त्रिपाठी की प्रतिमा के सम्बन्ध में।

कानपुर विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर निगम के कर्मचारी नेता स्व0 राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने कर्मचारियों के हितो की लड़ाई लड़ते हुये आज से 19 वर्ष पूर्व 4 नवम्बर, 1993 को नगर निगम परिसर में अपने प्राणों का बलिदान दिया था।

मान्यवर् तब से लगातार शहीद राम प्रसाद त्रिपाठी की शहादत दिवस पर तीनों संस्थानों के कर्मचारी संगठन राम प्रसाद त्रिपाठी स्मारक समिति नगर निगम परिसर में शहीद त्रिपाठी जी की प्रतिमा लगवाने की मांग करती आ रही है, परन्तु मजदूर नेता की प्रतिमा आज तक नही लग सकी।

ह0....सभापति

मान्यवर् आपके महापौर बनने के बाद राम प्रसाद त्रिपाठी स्मारक समिति उ0प्र0 को शहीद त्रिपाठी जी की प्रतिमा लगने की उम्मीद जगी है।

मान्यवर् राम प्रसाद त्रिपाठी स्मारक समिति आपसे निवेदन करती है कि नगर निगम सदन के बगल में स्थित राम प्रसाद त्रिपाठी गुंलाब वाटिका में शहीद त्रिपाठी जी की प्रतिमा लगवाने की कृपा करें।

मान्यवर् राम प्रसाद त्रिपाठी स्मारक समिति आपकी हमेशा आभारी रहेगी।

.... निर्णय लिया गया कि विधिक राय लेकर कार्यवाही कराई जाये।

<u>**प्रस्ताव संख्या–101**</u> डा0 ओम प्रकाश शुक्ला, महामंत्री, बर्रा विश्व बैंक जन विकास समिति (रजि0), बी 790 एम0आई0जी0 बर्रा, कानपुर द्वारा प्रस्तावित एवं, मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

<u>**प्रस्ताव**</u>

विषयः– <u>सड़क के नामकरण हेतु।</u>

बर्रा विश्व बैंक जन विकास समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया है कि मं0न0 बी–790 से बी–48 तक पेट्रोल लाइन के समानान्तरण सी0सी0 रोड का नामकरण पं0 राम कृष्ण शुक्ल के नाम से कराने का प्रयास महामंत्री द्वारा किया जाये। पं0 राम कृष्ण शुक्ल जो पूर्व में उप ब्लाक प्रमुख व सदस्य जिला परिषद कानपुर रह चुके है तथा दिनांक 23 मार्च, 2010 को ब्रह्मलीन हो गये थे, उनक ेद्वारा क्षेत्र में सामाजिक व विकास के कार्यो के लिये सदैव प्रयास किये गये थे`जो निम्न हैः–

1. क्षेत्र में स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण शिवरों का आयोजन कराया गया।
2. उक्त आयोजनों में श्री शुक्ल द्वारा निःशुल्क दवा वितरण व चश्मा वितरण किया गया।
3. क्षेत्र में सदैव मार्ग प्रकाश हेतु श्री शुक्ल द्वारा व्यवस्था की गयी जिसमें नगर निगम द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
4. संदर्भित सड़क का निर्माण श्री शुक्ल के सदप्रयासों से कानुपर नगर निगम द्वारा किया गया।

   अतः संस्था आपसे निवेदन के साथ अपेक्षा रखती है कि श्री शुक्ल द्वारा संपादित कार्यो के सम्मान हेतु उक्त मार्ग (म0न0 बी–790 से बी–48) का नामकरण ''**पं0 राम कृष्ण शुक्ल मार्ग**'' कराने की कृपा करेंगें।

.... निर्णय लिया गया कि परीक्षण करा कर कार्यवाही की जाये।

<u>**प्रस्ताव संख्या–102**</u> श्री राकेश साहू, (पार्षद) वार्ड सं0 72 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

<u>**प्रस्ताव**</u>

विषयः– वार्ड 72 में बारातशाला बनाये जाने के सम्बन्ध मे।

सविनय अवगत कराना चाहता हूँ कि वार्ड 72 नसीमाबाद श्रमिक बाहूल क्षेत्र है इस वार्ड में कोई उत्सव व समारोह की जगह न होने के कारण क्षेत्र में एक बारातशाला का होना अति आवश्यक है जिससे यहॉ की गरीब जनता को उसका लाभ मिल सकें।

अतः आपसे निवेदन है कि आदर्श व्यामशाला 119/80 बम्बा रोड सब्जी मण्डी के स्थान पर जो जगह बेकार पड़ी है उस स्थान पर जनहित में बारातशाला बनाने की अनुमति देने की कृपा करें।

नगर आयुक्त ने कहा भूमि के स्वामित्व की जानकारी प्राप्त करते हुये कार्यवाही कराई जाये साथ ही सदस्यों से कहा कि अपने–अपने वार्ड में नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि का चिन्हान्कन कर अवगत कराया जाये।

.... निर्णय लिया गया कि भूमि के स्वामित्व का परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या–103 श्री सुन्दर ला पाण्डेय,श्रमिक नेता/समाज सेवक, उपभोक्ता राहत समिति,उ0प्र, महानगर कानपुर द्वारा प्रस्तावित एवं, मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

प्रस्ताव

विषयः– मुख्य मार्ग 120 फीट रोड से सब्जी मण्डी को स्थानान्तरित करके कैनाल रोड के समान्तर निर्मित हरित पट्टी व बगिया रोड पर दुर्धटनायें बचाने हेतु
लगावाई जायें।

सादर अवगत हो कि छपेड़ा पुलिया पर एक लम्बे समय से 120 फीट रोड पर सब्जी मण्डी अवैद्य रूप से अतिक्रमण करके लगाई जा रही है। जिससें गुमटी नं0 9 से नमक फैक्ट्री तक वाहनों के आवागमन पर सांय 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक व फलमण्डी प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक लगाकर मुख्य चौराहा को अतिक्रमण करके मुख्य मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करते हैं। आये दिन दुर्धटनायें होती रहती है। मजदूरो का जमाववाड़ा प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगा रहता है।क्षेत्र में स्थापित स्कूली बच्चों को बसें , वैन, रिक्सा आदि का निकलना कठिन हो जाता है। सब्जी मण्डी व फलमण्डी का कूड़ा , कचड़ा भी जल निकासी हेतु बनाये गयें नाले में प्रतिदिन भर दिया जाता है। जिससे नाले में सील्ट व कूड़ाकचड़ा भ्रता रहता है। नगर निगम व के0डी0ए0 द्वारा सड़को के निर्माण के समय बनायी दोनो साइट के मुख्य मार्ग पर बनायी गई नालियों के आगे मिट्टी डालकर सबजी वाले चबूतरा बनाकर पानी की निकासी को बाधित करते है। तुलसी नगर को जाने वाली 40 फीट रोड अतिक्रमण के बाद मात्र 10 फीट ही आवागमन के लिये खुली दिखाई पड़ती हैं।

अतः आपसे जनहित में अनुरोध है कि विभागीय स्तर पर मौका मुआइना कराकर सब्जीमण्डी व फल मण्डी को हनुमान मंन्दिर के सामने कैनाल रोकड के सामने निर्मित हरित पट्टी के सामने बगिया रोड पर स्थानान्तरित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा की जायें।

ह0....सभापति

.... **निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–104</u> श्री अतुल त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा हस्ताक्षरित,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

<u>प्रस्ताव</u>

इस पत्र के द्वारा आपके माध्यम से कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ कि वार्ड 11 जवाहर नगर में गीता पार्क बरातशाला जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, और सफेद हाथी के रूप में खड़ा है। यदि बारातशाला को मार्केट का रूप दे दिया जाये और जो सर्वत्र गैस गोदाम की जगह ब्रम्ह नगर में खाली हुई उस जगह आधुनिक बारातशालाा बना दी जायें। इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने से नगर निगम की आय में व्यापक बढ़ोत्तरी होगी।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–105</u> नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/1130/अधि0 अभि0–3 दिनांक 19.03.13 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव **सूचनार्थ प्रेषित।**

जोन–3 वार्ड 75 के अर्न्तगत बाबूपुरवा कालोनी 06 नं0 गेट चौराहे पर स्थित नलकूप वाली पार्क का नामकरण मा0 पूर्व पार्षद स्व0 काला बच्चा के नाम पर रखने हेतु श्री धर्मनाथ मिश्रा पार्षद द्वारा पत्र दिया गया है, जिस पर माननीय महापौर जी द्वारा प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति में रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः प्रश्नगत् कार्य की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/निर्णयार्थ प्रेषित हैं।

.... **निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–106</u> नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/273/न.आ./प्रोजेक्ट–सेल/12–13 दिनांक 23.02.2013 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव

सूचनार्थ प्रेषित।

<u>:– प्रस्ताव –:</u>

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना पार्ट–II (Construction of 210 MLD STP at Bingawan) की स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रू.14196.00 लाख की बढ़ी हुई धनराशि के सापेक्ष शासन के पत्र संख्याः 378/नौ–5–2013–60सा/2011 दिनांक 24 जनवरी, 2013 के द्वारा बढ़ी हुई धनराशि के सापेक्ष राज्यांश रू.1635.44 लाख की स्वीकृत प्रदान की

गयी है। इस धनराशि को उपलब्ध कराये जाने हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर अनुरोध किया गया है। योजना व कार्यहित में शासन से प्राप्त धनराशि रू.16,35,44,000.00 कार्यदायी संस्था गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक. 23.02.213 को प्रदान की गयी है, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ प्रेषित** है।

.... पढ़ा गया ।

प्रस्ताव संख्या–107 नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/274/न.आ./प्रोजेक्ट–सेल /12–13 दिनांक 23.02.213 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव

सूचनार्थ प्रेषित।

:– प्रस्ताव –:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना (अवशेष भाग) की स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रू. 47515.39 लाख की बढ़ी हुई धनराशि के सापेक्ष शासन के पत्र संख्याः 378/नौ–5–2013–60सा/2011 दिनांक 24 जनवरी, 2013 के द्वारा बढ़ी हुई धनराशि के सापेक्ष राज्यांश रू.585.21 लाख की स्वीकृत प्रदान की गयी है। इस धनराशि को उपलब्ध कराये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई उ.प्र. जल निगम, कानपुर द्वारा अनुरोध किया गया है। योजना व कार्यहित में शासन से प्राप्त धनराशि रू. 5,85,21,000.00 कार्यदायी संस्था गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 23.02.213 को प्रदान की गयी है, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ प्रेषित** है।

.... पढ़ा गया ।

प्रस्ताव संख्या–108 नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/21/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

जोन–2 वार्ड 39 के अन्तर्गत द्विवेदी नगर में सी0ओ0डी0 नाले की साइड पटरी पर श्री नवाब सिंह के मकान से प्रखर स्वीट हाउस तक इन्टरलाकिंग का कार्य का आगणन धनांक रू0 616558.00 की स्वीकृतोपरान्त दि0 26.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 5 निविदायें प्राप्त हुई है, प्राप्त निविदाओं में मेसर्स श्रद्धा कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 17.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–510913.14 पै0 की प्राप्त हुयी। दरें

उचित एवं नगर निगम हित मे है। जनहित मे पाथवे का कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता मेसर्स श्रद्धा कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 17.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–510913.14 के व्यय की स्वीकृती हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

.... पढ़ा गया ।

प्रस्ताव संख्या–109 नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/20/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

जोन–2 वार्ड 29 के अन्तर्गत देवीगंज व बीबीपुर की विभिन्न गलियों में नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य का आगणन धनांक रू0 995324.00 की स्वीकृतोपरान्त दि0 26.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 6 निविदायें प्राप्त हुई है, प्राप्त निविदाओं में मेसर्स माँ मैहर ट्रेडर्स (ठेकेदार) की आगणन से 16.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–836072.16 पै0 की प्राप्त हुयी। दरें उचित एवं नगर निगम हित मे है। जनहित मे नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता मेसर्स माँ मैहर ट्रेडर्स (ठेकेदार) की आगणन से 16.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0 836072.16 के व्यय की स्वीकृती हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया ।

प्रस्ताव संख्या–110 नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/19/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

जोन–2 वार्ड 53 के अन्तर्गत देहली सुजानपुर मकान नं0 185 से ई 245 व ई 193 एवं 229 रामशंकर वर्मा के मकान से पी0एस0 राठौर के मकान तक नाली का सुधार कार्य का आगणन धनांक रू0 702813.00 की स्वीकृतोपरान्त दि0 26.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 4 निविदायें प्राप्त हुई है, प्राप्त निविदाओं में मेसर्स संजय शर्मा (ठेकेदार) की आगणन से 18.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–576306.66 पै0 की प्राप्त हुयी। दरें उचित एवं नगर निगम हित मे है। जनहित मे नाली का सुधार कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता संजय शर्मा (ठेकेदार) की आगणन से 18.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0 576306.66 के व्यय की स्वीकृति हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... **पढ़ा गया ।**

प्रस्ताव संख्या–111 नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/18/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

जोन–2 वार्ड 28 के अन्तर्गत जय अम्बे इन्टरनेट कैफे से राकेश अग्रवाल के मकान तक इन्टरलाकिंग का कार्य का आगणन धनांक रू0 608616.00 की स्वीकृतोपरान्त दि0 26.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 4 निविदायें प्राप्त हुई है, प्राप्त निविदाओं में मेसर्स नवीन ट्रेडर्स (ठेकेदार) की आगणन से 12.13 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–534791.76 पै0 की प्राप्त हुयी। दरें उचित एवं नगर निगम हित मे है। जनहित मे इन्टरलाकिंग का कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता मेसर्स नवीन ट्रेडर्स (ठेकेदार) की आगणन से 12.13 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–534791.76 के व्यय की स्वीकृती हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

.... **पढ़ा गया ।**

प्रस्ताव संख्या–112 नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/17/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित है।

:– प्रस्ताव –:

जोन–2 वार्ड 29 के अन्तर्गत जगतापुर में नाली व इन्टरलाकिंग से सड़क सुधार कार्य का आगणन धनांक रू0 984258.00 की स्वीकृतोपरान्त दिनांक 26.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 3 निविदायें प्राप्त हुई है, प्राप्त निविदाओं में मेसर्स राजीव कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 10.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–885832.00 पै0 की प्राप्त हुयी। दरें उचित एवं नगर निगम हित मे है। जनहित मे रोड एवं नाली का सुधार का कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता मेसर्स राजीव कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 10.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–885832.00 के व्यय की स्वीकृती हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... **पढ़ा गया ।**

ह0....सभापति

<u>प्रस्ताव संख्या–113</u> नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/16/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

जोन–2 वार्ड 48 के अन्तर्गत वाई ब्लाक 80 फिट रोड धरी पुरवा रोड महार्षि विद्या मन्दिर स्कूल से बालाजी गेस्ट हाउस से 128/1374 वाई तक सी0सी0 व नाली का कार्य का आगणन धनांक रू0 789974.00 की स्वीकृतोपरान्त दि0 26.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 4 निविदायें प्राप्त हुई है, प्राप्त निविदाओं में मेसर्स राजीव कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 12.50 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–691227.25 पै0 की प्राप्त हुयी। दरें उचित एवं नगर निगम हित मे है। जनहित मे सी0सी0 व नाली का कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता राजीव कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 12.50 प्रतिशत निम्न धनांक रू0 691227.25 के व्यय की स्वीकृति हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

.... पढ़ा गया ।

<u>प्रस्ताव संख्या–114</u> नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/15/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

जोन–2 वार्ड 48 के अन्तर्गत मकान नं0 128/1358 एवं 128/903 वाई ब्लाक किदवई नगर पी0सी0सी0 इन्टरलाकिंग द्वारा रोड का सुधार कार्य का आगणन धनांक रू0 767601.00 की स्वीकृतोपरान्त दिनांक 26.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 10 निविदायें प्राप्त हुई है, प्राप्त निविदाओं में मेसर्स श्रद्धा कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 17.61 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–632426.46 पै0 की प्राप्त हुयी। दरें उचित एवं नगर निगम हित मे है। जनहित मे रोड का सुधार का कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता मेसर्स श्रद्धा कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 17.61 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–632426.46 के व्यय की स्वीकृती हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

.... पढ़ा गया ।

<u>प्रस्ताव संख्या–115</u> नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/13/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

ह0....सभापति

जोन–2 वार्ड 30 के अन्तर्गत गंगापुर गाँव में विशाल टेन्ट हाउस से सूबेदार के मकान होते हुए सन्तोष लता द्विवेदी के मकान तक सी0सी0 का कार्य का आगणन धनांक रू0 741587.00 की स्वीकृतोपरान्त दि0 26.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 3 निविदायें प्राप्त हुई है, प्राप्त निविदाओं में मेसर्स लखन कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 12.10 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–651854.98 पै0 की प्राप्त हुयी। दरें उचित एवं नगर निगम हित मे है। जनहित मे सी0सी0 का कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता मेसर्स लखन कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 12.10 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–651854.98 के व्यय की स्वीकृती हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया ।

प्रस्ताव संख्या–116 नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/12/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

जोन–2 वार्ड 30 के अन्तर्गत गंगापुर गाँव में श्री सन्तोष लता के मकान से विनोद शुक्ला के मकान तक सी0सी0 का कार्य का आगणन धनांक रू0 718266.00 की स्वीकृतोपरान्त दिनांक 26.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 5 निविदायें प्राप्त हुई है, प्राप्त निविदाओं में मेसर्स लखन कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–610526.10 पै0 की प्राप्त हुयी। दरें उचित एवं नगर निगम हित मे है। जनहित मे रोड सुधार का कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता मेसर्स लखन कां0 कं0 (ठेकेदार) की आगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू0–610526.10 के व्यय की स्वीकृती हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

.... पढ़ा गया ।

प्रस्ताव संख्या–117 नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/11/अ0अ0–2 दिनांक 12.03.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर सुजातगंज में भवन सं0 57/40 बी से 157/20बी होते हुए भवन सं0 57/11 बी तक नाली की मरम्मत एवं सी0सी0 सड़क का सुधार कार्य का आगणन धनांक रू0 7,11,788.00 की स्वीकृतोपरान्त दिनांक 12.02.13 को निविदा आंमन्त्रित की गई, जिसमे मात्र 3 निविदाये प्राप्त हुई। प्राप्त निविदाओं मे से न्यूनतम निविदा मेसर्स निशी इं0 प्रा0 (ठेकेदार) की आगणन दर से 10.37 प्रतिशत निम्न धनांक

रू0–6,37,975.58 पै0 की प्राप्त हुई है। दरें उचित एवं नगर निगम हित मे है जनहित मे नाली निर्माण एवं सड़क सुधार कार्य कराया जाना आवश्यक है। कार्य का व्यय बजट हेड 5(3)बी नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सर्व न्यूनतम निविदादाता मेसर्स निशी इं0 प्रा0 (ठेकेदार) की आगणन से 10.37प्रतिशत निम्न धनांक रू0–6,37,975.58 के व्यय की स्वीकृती हेतु मां0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित हैं।

.... पढ़ा गया ।

प्रस्ताव संख्या–118 नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/08/जो0अ0–2/दिनांक 18.01.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ/निर्णयार्थ प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) महिला कल्याण एवं संस्कृति विभाग उ0प्र0 शासन श्रीमती अरूण कुमारी कोरी के पत्र दिनांक 30.12.12 वार्ड 28 कृष्णानगर के अन्तर्गत श्याम नगर पी0ए0सी0 मोड़ पर स्व0 श्री बुद्धचन्द्र जी, आई0पी0एस0 एवं सदस्य विधान परिषद उ0प्र0 के नाम से "स्व0 श्री बुद्धचन्द्र जी" द्वार का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। उक्त कार्य की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पास होने के उपरान्त ही कराया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–119 नगर आयुक्त के पत्र संख्या : डी/09/जो0अ0–2/दिनांक 18.01.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत **सूचनार्थ**/निर्णयार्थ प्रेषित हैं।

:– प्रस्ताव –:

मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) महिला कल्याण एवं संस्कृति विभाग उ0प्र0 शासन श्रीमती अरूण कुमारी कोरी के पत्र दिनांक 30.12.12 वार्ड 28 कृष्णानगर के अन्तर्गत श्याम नगर फ्लाईओवर का नामकरण स्व0 श्री बुद्धचन्द्र जी, आई0पी0एस0 एवं सदस्य विधान परिषद, उ0प्र0 के नाम से "स्व0 श्री बुद्धचन्द्र सेतु" करने के सम्बन्ध में है। उक्त कार्य की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पास होने के उपरान्त ही कराया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रेषित हैं।

.... उपरोक्त प्र0सं0 21 व 22 में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुये निर्णय लिया गया कि श्याम नगर फ्लाईओवर का नामकरण स्व0 बुद्धचन्द्र सेतु किया जाये।

जलकल विभाग, नगर निगम,कानपुर।

प्रस्ताव संख्या–120 कार्यालय पत्रांक संख्या जलकल/2434/एस0एम0–457/2012–13 दिनांक 23 फरवरी,2013 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित है।**

ह0....सभापति

प्रस्ताव

कार्यालय पत्र संख्या का0ज0स0/2238/एस0एम0–457/2012–13 दिनांक 30 जनवरी, 2013 द्वारा ग्रीष्म्ऋतु से पूर्व पेयजल समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर मा0 पार्षदगणों के अनुरोध पर प्रति वार्ड एक –एक नग इण्डिया मार्क–ं।। हैण्ड पम्प अधिष्ठापन हेतु रू0 38.92 लाख व्यय की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

क0सं0	जोन	हैण्डपम्प संख्या	धनराशि (लाख में)
1	जोन–1	18	6.37
2	जोन–2	18	6.37
3	जोन–3	18	6.37
4	जोन–4	18	6.37
5	जोन–5	19	6.72
6	जोन–6	19	6.72
योग–		**110**	**38.92**

मो0 वसी, मो0 इरफान, श्री सलीम बेग तथां श्रीमती गीता देवी ने आगामी ग्रीष्म ऋतु एवं पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये सभी वार्डो में 05–05 हैण्डपम्प लगवाये जाये।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को पुनः: अवगत कराया कि भूगर्भ जल दूषित हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन सीमित कर दिया गया है, परन्तु वर्तमान में उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापन के पश्चात् एक–एक हैण्डपम्प अधिष्ठापन के लिये पूर्व में ही स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है।

मो0 इरफान ने कहा कि मा0 विधायकगण अपनी–अपनी निधि से हैण्डपम्प लगवा रहे है, क्या उन्हें भूगर्भ दूषित होने का संज्ञान नही है।

साथ ही यह भी कहा कि वार्ड–108 बेगमपुरवा में चाचा नेहरू स्कूल के पास खराब हैण्डपम्प तत्काल ठीक कराया जाये, जिससे बच्चों की पेयजल की समस्या का समाधान हो सके साथ ही वार्ड–40 के खराब हैण्डपम्प भी ठीक कराये जाये अथवा नये लगाये जाये। जोन–5 गोविन्द नगर आर्य समाज मन्दिर के पास 13 नं0 ब्लाक में पाइप लाइन टूटी है, जिससे पानी बराबर बहता रहता है। जिस पर नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक, जलकल को निर्देशित किया कि बताये गये स्थलों के खराब हैण्डपम्प तत्काल ठीक कराये जाये साथ ही टूटी पाइप लाइन के रिसाव को भी रोका जाये।

समिति के सदस्यों ने 05–05 हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजने के लिये कहा।

नगर आयुक्त ने पुनः अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार यदि माननीय सांसद व विधायक अपनी निधि से हैण्डपम्प लगवाना चाहते है तो नगर निगम को लगवाने में कोई आपत्ति नही है साथ ही अवगत कराया कि 3000 हैण्डपम्प रिबोर हेतु चिन्हांकन कर लिये गये हैं। ग्रीष्म ऋतु में हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु कम से कम 55 प्लम्बर चिन्हित कर दो वार्डो पर एक प्लम्बर रखा जायेगा। हैण्डपम्प की छोटी–छोटी मरम्मत हेतु स्थानीय स्तर पर जन सहयोग के आधार पर कार्यवाही की जाये परन्तु इससे अधिक लागत के मरम्मत के कार्य जलकल द्वारा किये जाये।

.... **समस्त अभियंत्रण खण्डो में कुल 110 हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु रू0 38.92 लाख की प्रस्तावित धनराशि को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

प्रस्ताव संख्या–121 कार्यालय पत्र संख्या 297/स्टी/12–13 दिनांक 08.03.13 को अधिनियम की धारा 132(5) के अंर्न्तगत **सूचनार्थ प्रेषित।**

प्रस्ताव

सी0यू0जी0 मोबाइल पर व्यस्त होने की स्थिति में आटो रिस्पान्स मशीन में स्वतः काल फॉरवर्ड हो जाने तथा कालर को दिये गये विकल्पों में ऐच्छिक विकल्प का चयन होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को काल फॉरवर्ड होने का सिस्टम विकसित किये जाने के सम्बन्ध में मेसर्स नोरलटी कम्युनिकेशन्स प्रा0 लि0 से एक वर्ष की सुविधा हेतु धनांक रू0 32,000.00 के व्यय एवं अग्रिम भुगतान की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.02.13 को प्रदान की गयी है। यह व्यय बजट शीर्षक 2201201 के अर्न्तगत किया जावेगा।

अतः अग्रिम भुगतान का उक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–122 नगर आयुक्त के पत्र संख्या 710/सी0ए0ओ0/12–13 दिनांक 18.03.13 के अंर्न्तगत मा0 कार्यकारिणी समिति को **स्वीकृतार्थ प्रेषित।**

प्रस्ताव

कृपया शासन के पत्रांक 714/9–7–13–15/जनरल/13 दिनांक 08 मार्च, 2013 के क्रम मं दिनांक 15.03.2013 को मैं बैठक में उपस्थित हुआ। सम्परीक्षा शुल्क1983–84 से 2001–02 तक रू0 1,47,38,242.00 अवशेष है। चूँकि यह प्रकरण विधान सभा की आश्वासन समिति में सन्दर्भित है। अतः प्रमुख सचिव (वित्त)महोदय ने निर्देश दिये कि प्रत्येक परिस्थिति में चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2013तक) उक्त धनराशि का न्यूनतम आधा भुगतान सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में नगर निगम निधि में धनराशि उपलब्ध है। रू0 10.00 लाख (रूपया दस लाख मात्र) की स्वीकृति आप द्वारा पृष्ठ –13 पर प्रदान की जा चुकी है। अतः रू0 64.00 लाख (रूपये चौसठ लाख मात्र) सम्परीक्षा शुल्क , स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग ,उ0प्र0 को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

(कार्मिक/शिक्षा)

ह0....सभापति

प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या–123 कानपुर नगर निगम द्वारा चार (4) मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालय संचालित किये जा रहे है, जिनमें चुन्नीगंज व सर्वोदय नगर को मान्टेसरी की मान्यता पहले से ही है, उन दोनों विद्यालयों के पदों का सृजन निम्नवत् हैः–

कमांक	विद्यालय का नाम	सृजित पद प्रधानाध्यापिका	सृजित पद सहा0 अध्यापिका, एल0टी0 ग्रेड	सृजित पद सहा0 अध्यापिका, सी0टी0 ग्रेड
01	चुन्नी गंज	01	06	10
02	सर्वोदय नगर	01	06	09
	कुल	02	12	19

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि 37 पूर्व नियत वेतन शिक्षिकायें द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में नियुक्ति हेतु याचिका संख्या–55698/2006 इन्दू त्रिपाठी व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य दायर की है, जो वर्तमान में लम्बित है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उक्त योजित याचिका पर अन्तिम रूप से निर्णयानुपालन में नियमानुसार नियमित नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्त विद्यालयों में प्रधनाध्यापिका सहित कुल 33 पद सृजित/स्वीकृत हैं, वर्तमान में 23 शिक्षिकायें नियमित रूप कार्यरत हैं तथा 10 पद रिक्त हैं। वित्त विहीन विद्यालयों में 29 अंशकालिक शिक्षिकायें कार्यरत हैं, जो रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की मांग कर रही है। इन अंशकालिक कार्यरत शिक्षिकाओं को रिक्त पदों पर नियमितीकरण की मांग पर विचार हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। इसे निर्णयानुसार शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

(शिक्षा विभाग)

प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या–124

1. कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित वित्त विहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो व अन्य विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापिकाओं की नियुक्तियॉ वर्ष 2007–08 मे हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की कक्षाओं को पढ़ाने हेतु नियत वेतन क्रमशः रूपया– 3,500.00 एवं रूपया– 4,500.00 प्रतिमाह पर चयन प्राकिया अपनाकर की गयी थी। इन अंशकालिक शिक्षिकाओं के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध मे एक सामूहिक

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत वेतन बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है। इन शिक्षिकाओं का वेतन पूर्व प्रस्ताव संख्या–900 द्वारा क्रमशः रूपया– 5,000.00 एवं 6,000. 00 प्रतिमाह किये जाने की संस्तुति की गयी थी, इन्हें उक्त वेतन भुगतान वर्ष 2009 से किया जा रहा है। अतः उक्त परिपेक्ष्य मे अंशकालिक शिक्षिकाओं को नियत वेतन पुनरीक्षित हुये तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, जिसपर सभ्यक

विचारोपरान्त उक्त विद्यालयों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम हित में अंशकालिक शिक्षिकाओं की नियत वेतन की धनराशि क्रमशः 6,000. 00 व 7,000.00 प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

2. वर्तमान समय मे रू0 5,000.00 प्रतिमाह पर कार्यरत ऐसी अध्यापिकायें जो परास्नातक एवं बी0एड0 की अर्हता रखती हों उन्हें ही इण्टर कक्षाओं मे उसी विद्यालय मे पदो मे उपलब्धता के आधार पर अध्यापन हेतु पदोन्नत कर नियत वेतन पर किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष आउट–सोंसिंग के माध्यम से की जा रही व्यवस्था यथावश्यकता सहायक अध्यापिकायें के स्थान पर की जायेगीं।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

कानपुर नगर निगम

कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ

प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या–125

कानपुर नगर निगम नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहा है। बढ़ती आबादी एवं बदलते तकनीकी वातावरण में समस्याओं के समाधान,नागरिक सेवाओं में बेहतरी तथा कानपुर के विकास में सभी भागीदारों को शामिल करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा स्मार्ट उपकरणों का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुये कानपुर नगर निगम को निजी तकनीकी सेवा प्रदाताओं,कानपुर के अन्य सरकारी विभागों, कानुपर के नागरिकों एवं उद्योगों की सहायता से ऐसे तकनीक,प्रक्रियाएं,संस्कृति एवं तंत्र विकसित करने की जरूरत है जिससे कानुपर एक स्मार्ट सिटी बन सकें। इस प्रक्रिया में सोशल नेटवर्किंग,वेब–जी0आई0एस0,स्मार्ट गवर्नेस,सौफ्टवेयर,स्मार्ट उपकरणों आदि की मदद ली जाएगी ताकि नगर के सामाजिक एवं भौतिक ढांचे की निगरानी की जा सके,उन्हे बेहतर बनाया जा सके और इस प्रक्रिया में नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करायी जा सके। इस तंत्र के माध्यम से स्थानीय संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके ताकि कानपुंर की एक सकारात्मक पहचान बन सके।

इस तन्त्र की सहायता से :– कानपुर नगर निगम।

क. अपने कर्मचारियों,अधिकारियों,नागरिकों और जन–प्रतिनिधियों को जरूरी संचार के साधन;नियोजन,निवेश एवं निर्णय–निर्धारण;समस्याओं की पहचान एवं पूर्वानुमान;त्वरित कार्रवाई;संसाधन समन्वयन एवं बहुपक्षीय सहयोग नगर के विभिन्न

ह0....सभापति

भागों में ढांचागत विकास का मूल्यांकन आदि के लिए जरूरी आंकड़े एवं विश्लेषण प्रदान कर सकेगा।

ख. नागरिकों से सीधा जुड़ सकेगा,सूचनाओं का आदान–प्रदान कर सकेगा और नीतिगत मामलों या निर्णयों पर नगर के सभी भागीदारों से विचार–विमर्श कर सकेगा।

ग. पर्यावरण(प्रदूषण,मौसम),सामाजिक एवं भौतिक ढांचे की अच्छी तरह से देख–रेख कर सकेगा।

घ. अपने कर्मचारियों, अधिकारियों एवं जन–प्रतिनिधियों के काम को संगठित कर सकेगा एवं उन्हें प्रशिक्षण देगा जिससे उनका कार्य–तनाव कम हो सके और उनके नागरिक सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ सके।

इस तंत्र के निर्माण में लगने वाला धन,तकनीक एवं अन्य संसाधन कानपुर नगर निगम निजी कंपनियों एवं संगठनों के साथ मिलकर एकत्र करेगा। इसके लिए एक पृथक खाता बनाया जायेगा और इसमें निजी एवं सरकारी दोनों स्रोतों से धन एकत्र किया जायेगा। इस पृथक खाते के धन का इस्तेमाल केवल इस तंत्र के निर्माण, रख–रखाव शोध एवं संवर्धन तथा इस तंत्र के व्यवसायीकरण में किया जायेगा। कानपुर नगर निगम इस तंत्र के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देगा ताकि इससे होने वाले लाभ को कानपुर नगर के बेहतरी में खर्च किया जा सके।
इस पृथक खाते का प्रबंधन निजी भागीदारी के द्वारा कानपुर नगर निगम की निगरानी में किया जायेगा।
उक्त प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है जो निम्नवत है :–

प्रथम चरण : शिकायत निवारण के लिए सोशल नेटवर्किंग एवं जी.आई.एस.आधारित सिस्टम बनाना।

अवधि 8 महीने

द्वितीय चरण :स्मार्ट गवर्नेंस जैसे कि इलेक्ट्रांनिक्स एवं बायोमैट्रिक डिवाईस द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करना; नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं को एस.एम.एस.एवं इन्टरेक्टिव वॉइस रिस्पोन्स सिस्टम के द्वारा सूचना प्रदान करना एवं फीडबैक लेना;वार्ड स्तर पर प्रगतिशील परियोजनाओं की तत्काल प्रगति को जी.आई.एस. मैप्ड फोटोग्राफी द्वारा सौफ्टवेयर के साथ लिंक करना;विभिन्न प्रकार के सर्वे करना; पब्लिक कीओस्क मशीन द्वारा नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को नगर निगम आधारित सेवाओं की यथा–स्थिति से अवगत कराना।
अवधि 12–16 महीने

तृतीय चरण : जल आपूर्ति,वायु एवं ध्वनि प्रदूषण,भूतिगत जल,मौसम आदि का सेन्सर्स एवं स्मार्ट उपकरणों की मदद से मॉनिटरिंग करना कैमरों के माध्यम से यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना। वाटर मीटरिंग सिस्टम द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था करना एवं बिलिंग करना।

अवधि 18–24 महीने

प्रथम चरण में बनने वाला सिस्टम Arnium technologies private Limited (जी.आई.आई.टी. कानपुर के पूर्व–छात्रों एवं प्रोफेसर द्वारा स्थापित है एवं इसका कार्यालय आई.आई.टी. कानपुर के परिसर में स्थापित है) के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा जिसके उपयोग में कानपुर

नगर निगम द्वारा कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी तथा इससे नागरिकों की समस्याओं के समाधान की गुणवत्ता में सुधार तथा जन–भागीदारी स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगी। अतः Arnium technologies private Limited के साथ कार्य करने एवं आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई। प्रथम चरण के लिये, जो निःशुल्क है अनुबन्ध किया जाये, इसके अनुभव के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक कार्य सूची

प्रस्ताव संख्या –126

कानपुर नगर निगम

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

प्रस्ताव

विज्ञापन एवं विज्ञापन पट पर कर के सम्बन्ध में प्रचलित दरें वर्ष 2003 की है। शासन द्वारा वर्ष 2009 में तैयार की गयी नियमावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी है। अब यह नियमावली नगर निगम से अनुमोदित कराकर शासन को स्वीकृत हेतु प्रेषित की जानी है।

उक्त प्रचलित नियमावली, शासन द्वारा तैयार की गयी नियमावली एवं लखनऊ नगर निगम की नियमावली की सहायता से कानपुर नगर निगम (समाचार पत्रो में प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली) नियमावली, 2013 का प्रारूप तैयार किया गया है, जो माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कानपुर नगर निगम (समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली) नियमावली, 2013

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1** (1) यह नियमावली कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर निर्धारण व वसूली नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

ह0....सभापति

2—परिभाषाएं

2(I) (1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में ''अधिनियम'' का तात्पर्य **उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम—1959 (यथा संशोधित)** से है।

(2) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापनपट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, सुनाने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(3) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजन के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना या ध्वनि से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुज्य हों जो द्वार के भीतर या बाहर, किसी भी रीति, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापनपट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,

(4) ''विज्ञापन'' (advertisement) का तात्पर्य है दीप्तियुक्त (illumination – including digital screen) अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना (model), चिन्ह, विज्ञापन फलक (playcard board), नोटिस, युक्ति (device) अथवा प्रतिरुप (representation), जो विज्ञापन, उद्घोषणा (announcement), या निर्देश (direction), के प्रकार का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती (hoarding), तथा इसी प्रकार के अन्य ढाँचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुकूलित कर लिये गये हों,

(5) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,

(6) ''झण्डी'' का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,

(7) ''झण्डी प्रतीक'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रुप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो,

(8) ''निगम'' का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है,

(9) ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं,

(10) डिजिटल स्क्रीन का तात्पर्य यह है कि ऐसे विज्ञापन पट जिसमें एक या उससे अधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाते हों।

(11) ''भू प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापनपट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृष्य हो,

(12) ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो, जिसमें स्थानीय टी0वी0 चैनल/ छविगृहों में प्रदर्शित किया जाने वाला व्यावसायिक (commercial), विज्ञापन भी शामिल हैं।

(13) ''शमियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शमियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो,

ह0....सभापति

(14) ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,

(15) ''मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है,

(16) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिससमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित,

(17) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है,

(18) ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी सरंचना से है जिससे को प्रतीक अवलम्बित हो,

(19) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है,

(20) ''स्थायी प्रतीक'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वाँछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढाँचा से या उसके बिनाकिसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है,

(21) ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टाँगे गये किसी विज्ञापन से है,

(22) ''दीवार प्रतीक'' का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो,

(23) ''मैदान'' का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि (Open Ground), पार्क (Park) अथवा खेल के मैदान (Play Ground) से है।

2(II) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदो ंके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हों।

3–स्थल चयन के लिए समिति का गठन

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई, और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे

1. नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2. प्रभारी विज्ञापन	सदस्य/संयोजक
3. नगर मे यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	सदस्य
4. अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5. नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी	सदस्य
6. सचिव, विकास प्राधिकरण	सदस्य
7. भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8. केन्टोनमेन्ट बोर्ड के अधिशाषी अधिकारी	सदस्य
9. निगम का यातायात अभियंता या कोई अधिकारी जो अधिशाषी अभियंता की श्रेणी से निम्न न हो।	सदस्य
10. मनोरन्जन कर अधिकारी	सदस्य

टिपप्ण्णी – नगर आयुक्त किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन कर समिति द्वारा विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन या विज्ञापन पट के अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें। विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन या विज्ञापन पट के प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नियत न्यूनतम प्रीमियम

ह0....सभापति

विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–निषेध

(1) **नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना :**

कोई व्यक्ति नगर निगम सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या समस्त संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा या न सुनायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटाकायेगा, न सुनायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, न सुनवाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रुप से श्रव्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के वाहन मार्ग (carriage

way), छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट नियम 18 के अधीन यथा विनिर्दिष्ठ मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 05 मीटर के भीतर नहीं प्रतिष्ठापित की जायेगी।

5–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रकिया

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 500/–भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम–(1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी, जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, उद्घोषित किया जाना वाँछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी।

(क) विज्ञापन भवन मुख से सम्बन्धित विज्ञापन को दर्शाने वाली ऊँचाई, यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,, सहित लम्बाई, ऊँचाई और भार को दर्शाने पूर्ण विनिर्दिष्ट, जहाँ इसें परिनिर्मित किया जाना हो, उसकी अवस्थित, विनिर्माणकर्ता का नाम और पता तथा जहाँ प्रयोज्य हों, वहाँ प्रकाश पुंजों की संख्या और उसका विद्युत विवरण,

(ख) ऐसे प्रपत्र में विज्ञापन भवन मुख से सम्बन्धित विज्ञापन को दर्शाने वाली ऊँचाई यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, सहित 1:500 के पैमाने में चित्रित स्थल पर विज्ञापन की स्थिति को इंगित करने वाले अवस्थान योजना और 1:20 के पैमाने या उसके यथार्थ गुणक में स्याही से या छापों पर चित्रित पूर्ण विवरण वाला चित्र संलग्न होगा,

(ग) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–विज्ञापनों के मामले में सहायक किया

विधियाँ और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेंगी,

(घ) कोई अन्य विशिष्टिया, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,

(ङ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है,

(च) उद्घोषणा (announcement), के द्वारा किये जाने वाले विज्ञापनों के मामले में प्रचारित वार्षिक/अर्द्धवार्षिक विज्ञापन अवधि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता के मााध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता–2005 के भाग–4 ''संरचना अभिकल्प धारा–1 भार, बल और प्रभाव के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना या उद्घोषित किया जाना वाँछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

ह0....सभापति

(5) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन सम्प्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति ट्री–गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री–गार्डो पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित करता है तो वह इस नियमावली के अधीन कर भुगतान करने का दायी होगा।

(7) लोकोपयोगी/जनोपयोगी सूचनायें या जानकारी प्रदर्शित किये जाने वाले पटों में 20 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक भाग विज्ञापन हेतु प्रयोग में लाये जाने पर विज्ञापित क्षेत्रफल के लिए विज्ञापन कर के भुगतान का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप संलग्न करनी होगी।

6–अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्घोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, ाचिपकाया जाएगा, समुद्भृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पटों के मध्य की दूरी, विज्ञापन की चौड़ाई या 06 मीटर,, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।

ह0....सभापति

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशाओं में सम्पूर्ण अनुज्ञा अवधि में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा,

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी,

(ड़) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसका विवरण नगर आयुक्त को लिखित रुप से उपलब्ध कराना होगा,

(च) विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे,

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगें, प्रदर्शित किये जायेगे, सम्प्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे,

(ज) विज्ञापन पट इस प्रकार लगाये जायेंगे जिससे आवागमन में किसी प्रकार अवरोध/व्यवधान उत्पन्न न हो,

(झ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा,

(ञ) विज्ञापनकर्ता इस नियमावली और विनियमावली का अनुपालन करेगा,

(ट) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए,

(ठ) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा सग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी,

(ड) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होगें,

(ढ) समस्त विज्ञापन नियम 16 ''समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षायें'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरुप होगें,

ह0....सभापति

(ण) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़–पौधों में गाड़ा, बाँधा नहीं जायेगा।

(3) **नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उनका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जाएगा,**

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता है,

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, नगर आयुक्त के निदेश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है,

(ग) यदि बिना सूचना दिये विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है,

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

7–प्रीमियम

(1) नगर आयुक्त के प्रस्ताव पर विचार कर, कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्येक स्थल के लिए न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियत की जायेगी,

(2) उद्घोषणा, ध्वनि, अन्य माध्यम से छविगृहों अथवा द्वारों के अन्दर किये गये विज्ञापनों पर प्रीमियम देय न होगा।

(3) न्यूनतम सात दिन का समय, मुहरबन्द लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध करने के लिए दिया जायेगा।

(4) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में संलग्न करनी होगी।

8–आवंटन समिति एवं उसके

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें–

(क) अपर नगर आयुक्त **सदस्य**

ह0....सभापति

कार्यकलाप

(ख) मुख्य अभियंता (यातायात) **सदस्य**

(ग) विज्ञापन प्रभारी **सदस्य/सचिव**

(2) समिति इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम–26 के अधीन कर सहित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। किसी विज्ञापन स्थल के लिए एक से अधिक समान प्रीमियम की धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सभी समान दर उद्धृत करने वाले आवेदकों से पुनः मोहरबन्द प्रस्ताव आमंत्रित करके, उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य, सचिव समिति द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम को अनुमोदित प्रीमियम की 2 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रुप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन के बाहर अथवा अन्दर या भूमि पर सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापन कर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग को छोड़कर जहाँ नियम–18 के अधीन इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री–गार्ड या चहारदीवारी पर सम्प्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो

ह0....सभापति

अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

9–आवेदनपत्रों की अस्वीकृति के आधार

(1) नियम–4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है :–

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरुप न हो,

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से सम्प्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील, नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

(घ) प्रस्तााावित विज्ञापन से तूफान या अधंड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(ड़) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में व्यवधान, अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत होगा।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भूमि या भवन परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा–172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनाँक को असंदत्त

ह0....सभापति

हो।

10–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या हस्तान्तरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा–

(1) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,

(2) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

(3) आवेदन पत्र आमंत्रित करके,

11–अनुज्ञा की अवधि अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीकरण के दिनाँक से अनाधिक दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीकरण किया जायेगा।

12–विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति **(1)** यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सम्प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, सुनाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती हैः–

(क) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, सम्प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया

ह0....सभापति

गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरुप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन सम्प्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13—विज्ञापन पर निर्बन्धन

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, सम्प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि—

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर x 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए माार्ग मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) नियम—3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए अनुपयुक्त हो,

(पाँच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो,

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित हो,

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं,

सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो,

(आठ) स्थल नियम–22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो,

(2) **विज्ञापनों और विज्ञापन पटों को निम्नलिखित रुप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी–**

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर,

(तीन) नियम–18 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर के 10 मीटर भीतर,

(चार) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

(पाँच) ऐसे रुप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(छः) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पटो, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो, और इसलिए परिसंकटमय हो,

(सात) ऐसे रुप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(आठ) जब इनसे स्थानीय व जन सुविधायें प्रभावित हो।

ह0....सभापति

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा नहीं होगी—

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप मौसम या दिनाँक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है,

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन पट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विध्न पड़ता हो,

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट , जो इस रुप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14—छत के ऊपर के विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पटों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य है,

(2) नियम—6 और नियम—13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट की ऊँचाई, नियम—15(ग)(2) के अनुसार होगी।

15—विज्ञापन पटों के प्रकार

विज्ञापन पट निम्नलिखित प्रकार के हैं—

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन,

(ख) भू—विज्ञापन,

(ग) छत विज्ञापन,

(घ) बरामदा विज्ञापन,

(ड़) दीवार विज्ञापन,

ह0....सभापति

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन,

(छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन,

(ज) आकाशीय विज्ञापन,

(झ) विविध और अस्थायी विज्ञापन,

(ञ) दुकानों पर विज्ञापन,

(ट) शटर पर विज्ञापन,

क– वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन

क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री, जहाँ विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 **वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन–**

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को भाग–8, भवन सेवायें, धारा–2 विद्युत एवं समवर्गी स्थापन, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

क–3 लाल, तृणमणि जैया या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नही किया जायेगा।

क–4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 06 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो स्थित सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट समुचित रुप से अवलम्बित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण के लए किसी विज्ञापन पट या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रुप में रोका जा सके।

ह0....सभापति

क–5 **गहन प्रदीप्त–**

कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती आवासीय भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करं, के भीतर समुचित रुप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जायेगा।

क–6 **परिवर्तन अवधि–**

लोक सौहाद्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, नगर आयुक्त की राय में, आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जायेगा।

क–7 **चौधने वाला, औझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला–**

चौंधने वाला, ओझल करने वाला जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, परिनिर्मित की जाएगी ताकि ऐसे विज्ञापन पटों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर से ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख–भू विज्ञापन

ह0....सभापति

ख–1 **सामग्री–**

ढाँचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन, नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

ख–2 **आयाम–**

भूमि से ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई तक कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख्य भाग से ऊपर जा सकता है।

ख–3 **अवलम्ब और स्थिरक स्थान–**

प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख–4 **स्थल सफाई –**

किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरुप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 **यातायात में आपत्ति –**

ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख–6 तल निर्बाधन के समस्त भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा

ह0....सभापति

किन्तु अंतरावर्ती स्थान का जालदार काग्र या वेदी सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख–7 भू–चित्रित विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, वहाँ नियम–16 की अपेक्षाओं के अनुरुप होंगे।

ग–छत विज्ञापन

ग–1 **सामग्री–**

नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेंगी।

ग–2 **आयाम–**

कोई छत विज्ञापन, ऊँचें भवनों पर निम्नलिखित ऊँचाइयों से अधिक नहीं होगा :

भवन की ऊँचाई	**विज्ञापन की ऊँचाई**
(क) चार मंजिल या 18 मीटर से अनधिक	02 मीटर
(ख) पाँच से आठ मंजिल या 18 मीटर से अधिक किन्तु 36 मीटर से अनधिक	03 मीटर
(ग) आठ मंजिल से अधिक या 36 मीटर परन्तु ऐसे विज्ञापनों की ऊँचाई की गणना करने में उसी भवन के विभिन्न	

ह0....सभापति

तलों पर एक दूसरे के ऊपर रखे गये या समतलों पर रखें गये या समतलों पर रखे गये विज्ञापनों को एक विज्ञापन समझा जाएगा, चाहे ऐसे विज्ञापन विभिन्न स्वामियों से सम्बन्धित हो या न हो। — 05 मीटर

ग–3

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन, किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग–4 **क्षेपण :** कोई छत विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन के परे क्षेपित नहीं होगा जिस पर यह परिनिर्मित हो या वह छत के ऊपर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

ग–5 **अवलम्ब और स्थिरक :** प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रुप में संवितरित होंगे।

ग–6 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना

चाहिए।

ग–7 चित्रित छत विज्ञापन, नियम–16 '' समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं'' जहाँ प्रयोज्य हो, के अनुरुप होंगे।

घ–बरामदा

घ–1 **सामग्री–** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम–16 के उपनियम–(4) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ–2 **आयाम–** कोई बरामदा विज्ञापन ऊँचााई में .01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ–3 **सरेखण–** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

घ–4 **स्थान–** बरामदा पट्टिका को जो लटकाने वाले विज्ञापन पट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थान पर लगायी जायेगी।

(एक) बरांडा, छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से बहिर्निष्ट न हो,

(दो) बरांडा, मुंडेर या आलम्ब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब

ह0....सभापति

ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक बहिर्निष्ट न हो,

(तीन) पेन्ट किये हुये विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरांडा धरनों या मुंडेरों पर।

घ–5 **लटकते हुये बरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई–** किसी बरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर हो। भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

घ–6 **प्रक्षेपण–** घ–4 में यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी बरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

ड़–दीवार विज्ञापन :–

ड़–1 पदार्थ– 4 मी0 क्षेत्रफल से अधिक का प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्टिका नियम–14 के उपनियम (4) में दिये गये ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग में यथा उपबन्धित के सिवाय अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

ड़–2 (क)परिमाप– किसी दीवार विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 20 मीटर से अधिक परिमाप नहीं होगी, सड़क के सामने जिधर ऐसी विज्ञापन पट्टिका का सामना पड़ता हो, 15 मीटर के भवन, अग्रभाग के संबंध में प्रेक्षागृह या सिनेमा के नाम वाले किसी दीवार विज्ञापन पट्टिका के मामले को छोड़कर ऐसे विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 200 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(ख) 30 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई दीवार विज्ञापन पट्टिका किसी ऐसी दीवार पर नहीं लगायी जायेगी जो सीधे सड़कर के सामने न पड़ती हो, परन्तु ऐसी विज्ञापन पट्टिका या विज्ञापन पट्टिकाएं सड़क से दृश्यमान पार्श्व दीवार क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ड़–3 प्रक्षेपण– कोई भी दीवार विज्ञापन पट्टिका उस दीवार के जिससे वह लगी हो, प्रक्षेपण शिखर के ऊपर या उसके अन्तिम छोर के बाहर नहीं निकली होगी।

किसी ऐसे स्थान पर जहां पदयात्री किसी ऐसे दीवार के पास से होकर गुजरते हों, लगी कोई विज्ञापन पट्टिका वहां से 7.5 सेंटीमीटर से अधिक प्रक्षिप्त।

ड़–4 <u>अवलम्ब एवं संलग्न–</u> दीवार से लगी प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्टिका सुरक्षित रूप से एवं लगी होगी। लकड़ी के कुन्दे या स्क्रू–स्टेपल्स या कील के संबंध में प्रयुक्त लकड़ी के साथ स्थिरण को, लकड़ी की दीवारों से लगी दीवार विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले को छोड़कर, उचित स्थिरण नहीं माना जायेगा।

च– <u>प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं</u>

च–1 सामग्रीः प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च–2 प्रक्षेपण एवं ऊँचाई कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहां अग्रभाग के लिए वी–निर्माण किया गया हो वहां भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

च–3 अवलम्ब एवं संलग्नः प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन का संक्षरण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स, ऐकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिा को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च–4 अतिरिक्त भार ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनाई गयी है या न हो, किसी व्यक्ति का थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्याधिक उल्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय, इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सके।

छ–<u>शामियाना विज्ञापन पट्टिका</u>

छ–1 सामग्री : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

छ–2 ऊँचाईः ऐसे विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और ने तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और ने पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

छ–3 लम्बाईः शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

ज–<u>आकाश विज्ञापन पट्टिका–</u>

ह0....सभापति

आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिकतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

झ–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं, मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ–1 प्रकार 1.2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जाएगी।

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरांदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरांदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरांदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पर परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ड़) विज्ञापन पट्टिका का एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अर्न्तगत होर्डिंग या घरों के लाइसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 300 किलोमीटर 450 मिलीमीटर से अनधिक हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक की दशा में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ–2 <u>अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता</u>

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात, जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश, यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हों, देने के लिए सशक्त होगा।

ह0....सभापति

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिका : पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं : किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो, सुदृढ़ रूप से बनी होगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होगी। जैसे ही वे फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाये, उन्हें, यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 10 दिनं की अवधि तक लटकाई जा सकती है।

(छः) अधिकतम आकार अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।

(सात) प्रक्षेपण : कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) विशेष अनुमति : भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुए सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़े, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी : मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरादायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरादायी मानें जायेंगे।

15(अ) तकनीकी प्रगति एवं सामयिक सन्दर्भों के अनुरुप ाविशेष मार्गों या स्थलों पर एकरुपता एवं सौन्दर्य के आधार पर स्थल चयन समिति द्वारा यथोचित मापदण्ड निर्धारित किया जा सकेगा।

16 <u>सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकताएं</u>

16(1) भार : विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आँधी, डेड से इंस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधना और विद्युत युक्तियां या वायरिंग से भिन्न हों, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग–8, भवन सेवाएं खण्ड–2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(3) ऐसे विज्ञापन पट्ट जिनमें विद्युत का प्रयोग किया जायेगा, उसका स्वतन्त्र विद्युत कनेक्शन एवं मीटर विज्ञापनकर्ता एजेन्सी द्वारा स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) <u>विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :–</u>

ह0....सभापति

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्नि शमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आनी चाहिए।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं आनी चाहिए।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका न लगायी जाय।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं की प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्सचर से युक्त होनी चाहिए।

(ड़) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से वर्जन किया जाना चाहिए।

(छ) विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियां लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झण्डी में नहीं लगायी जानी चाहिए।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग –

(एक) सजावटी विशिष्टता : ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहां अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेंटीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाय चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसानी या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप से की जाऐगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिए।

(6) अनुज्ञा–पत्र के ब्यौरे का प्रदर्शन :

अनुज्ञा–पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

17 दुकानों पर विज्ञापन –

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किए जाए तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायगा और वे इस नियमावली के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ वस्तु का चित्रण या कम्पनी का अधिकृत लोगो **(Logo)** या स्लोगन **(Slogan)** मुद्रित तथा वस्तु के गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस नियमावली के अधीन कराधेय होगी।

18 मार्गाधिकार(राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग छोड़कर)के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन –

उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय / राज्यमार्ग को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी :–

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन –

(एक) **अभिकल्प :** विज्ञापन फलक की चौड़ाई केन्द्रीय छोर या पगडण्डी आदि पर सड़क प्रकाश खम्भे के स्थान पर निर्भर करेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

निम्नलिखित प्रकार की व्यवस्था के लिए अनुज्ञा होगा :–

(क) व्यवस्था–एक – जब मध्य चौड़ाई 2 मीटर से अधिक हो तो व्यवस्था–एक की अनुज्ञा दी जा सकती है। (चित्र–1)

(ख) व्यवस्था–दो – जब मध्य चौड़ाई 2 मीटर से अधिक हो तो व्यवस्था–दो की अनुज्ञा दी जा सकती है। (चित्र–2)

(ग) व्यवस्था–तीन – जब खंभा पगडंडी पर स्थित हो तो व्यवस्था–तीन की अनुज्ञा दी जा सकती है। (चित्र–3)

टिप्पणी:–ऊपर चित्रों में प्रदर्शित फलकों के साथ–साथ अतिरिक्त विज्ञापन फलक की अनुज्ञा दी जा सकती है किन्तु फलकों के मध्य न्यूनतम उर्ध्व निकास 0.5 मीटर की होगी।

(दो) विज्ञापन पट्ट का आकार 0.75 मीटर व 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(तीन) भू–तल के ऊपर से विज्ञापन पट्ट के निचले तल तक न्यूनतम निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होगा।

(चार) निगम द्वारा फ्रेम लगाये जा सकते हैं और नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार अभिकरण द्वारा संप्रदर्शन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(2) बस सायबानों पर विज्ञापन :

अभिकल्प : बस सायबानों के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए, विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। बस सायबानों पर विज्ञापन फलक के आकार निम्नलिखित हैं :—

(क) टाइप 1 : 7.3 मीटर × 0.76 मीटर

(ख) टाइप 2 : 9.1 मीटर × 0.76 मीटर

(ग) टाइप 3 : 11.0 मीटर × 0.76 मीटर

चित्र–4 बस सायबानों पर विज्ञापन के संप्रदर्श के ब्यौरे को प्रदर्शित करता है।

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन : नियम उप नियम 2 के खण्ड (तीन) के अनुसार यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर × 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी। **चित्र–5 ब्यौरे को प्रदर्शित करता है।**

(4) यातायात रोटरी और आइलैण्ड

नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण (Agency) को यातायात विभाग के राजपत्रित अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी(यातायात) नगर निगम कानपुर के परामर्श से रोटरी व आईलैण्डों तथा यातायात बूथों के विकास व रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। संप्रदर्शन पट्टी का आकार यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात बूथ के स्थान और आकार और यातायात की गति पर निर्भर करेगा। किन्तु संप्रदर्शन की ऊँचाई रोटरी /आईलैण्ड/यातायात बूथ की ऊँचाई से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(5) मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां

नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण (Agency) को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण (Agency) को को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–सयम पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख–रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा।

(6) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) : नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण (Agency) को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण (Agency) को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

(7) पुष्प पात्र स्टैण्डस : नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प का पूरा पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 मीटर × 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्टी अपने दो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्टी के निचले भाग का

उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए परन्तु यह कि विज्ञापन पट्टी की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायगा।

19— छूट **(1)** इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी।

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि किसी ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय या बैठक या मनोरंजन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, आमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अर्न्तगत आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस नियमावली के अनुपालन में परिनिर्माण या रख—रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।

(2) **दीवार विज्ञापन पट्ट** : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी :—

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट :** किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते होंः विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट :** किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हैं।

(तीन) **नाम पट्ट :** किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(ख) खण्ड (2) ऐसे परिसरों संबंधित विज्ञापन जिस पर उन्हें संप्रदर्शित किया जाय—

(क) ऐसी भूमि या भवन, जिस पर विज्ञापनपट्ट संप्रदर्शित किया जाए, के संबंध में पहचान, निर्देश या चेतावनी के प्रयोजन के लिए विज्ञापन, किन्तु किसी ऐसे विज्ञापन की दशा में क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण– कदम पर ध्यान | मोहन की सम्पत्ति लाल एवं कम्पनी | ऊषा किरन

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के संबंध में विज्ञापन, जो ऐसे परिसर पर किसी व्यवसाय, कारबार या व्यापर चला रहे हों, जहां ऐसे विज्ञापन संप्रदर्शित किये गये हैं और वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में केवल एक विज्ञापन तक सीमित हो और क्षेत्रफल में 0.3 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण– रामलाल एवं कम्पनी

(ग) किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन सम्बन्धी, चिकित्सीय या तत्सदृश प्रकृति की किसी संस्था से सम्बन्धित या ऐसी भूमि जिस पर ऐस विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किया गया हो, पर स्थित किसी होटल, सर्वाजनिक गृह, डाकबंगला, फ्लैट ब्लाक, क्लब, छात्रावास या होटल से संबंधित विज्ञापन पट्ट जो ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बंध मे क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण– इंजीनियरिंग कालेज | अवकाश गृह | रोटरी क्लब

(ग) खण्ड (3) अस्थाई प्रकृति के विज्ञापन –

(क) ऐसी भूमि जिस पर विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किये गये हों, के विक्रय या किराये पर देने से सम्बन्धित विज्ञापना, ऐसे प्रत्येक विक्रय या किराये पर देने के सम्बंध में वह केवल एक विज्ञापन तक सीमित, किन्तु वह क्षेत्रफल में 02 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण– किराये पर देने हेतु | विक्रय हेतु घर

(ख) सामान या पशुधन के विक्रय को घोषित करते हुए विज्ञापन और ऐसी भूमि पर संप्रदर्शित, जहां ऐसे सामान या पशुधन स्थित हो या जहां ऐसा विक्रय किया जाता है, जो क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अनधिक एक विज्ञापन तक सीमित हो।

उदाहरण– **विक्रय इसी सप्ताह** | **पशु विक्रय**

20. **भू–विज्ञापन पट्ट** : नीचे सूचीबद्ध भू–विज्ञापन पट्टे के लिए अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी :–

(एक) यात्रा मार्ग निर्देश : किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट का परिनिर्माण या रखरखाव उसे यात्रा मार्ग लाइन के स्थान किसी रेल मार्ग, स्टेशन या अन्य सार्वजनिक वाहक को निर्दिष्ट करते हों, तब वे क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हो।

(दो) राजमार्ग विज्ञापन पट्ट : सामान्यतः निम्नलिखित वर्गो के विज्ञापन बिना अनुज्ञा के अनुज्ञेय हैं, यद्यपि वे नियम 15 के उप नियम (2) में दिये गये सिद्धान्तों के युक्तियुवत रूप से अनुरूप हों।

(क) वर्ग (1) आधारभूत विज्ञापन :

(क) अपने शासकीय या निर्देशित कर्तव्यों के निष्पादन में किसी लोक या न्यायालय अधिकारी के निर्देशों के द्वारा यह अधीन लगाये गये या संददर्शित किये गये शासकीय चेतावनी, संकेत, यातायात निर्देश विज्ञापन स्तम्भ और नोटिसें या विज्ञापन।

उदाहरण –

आगे मार्ग विभाजक

(ख) सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर दिशा संकेत यथा – पेट्रोल भरने के स्टेशन, चिकित्सालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र, पुलिस स्टेशन और दमकल केन्द्र।

उदाहरण –

चिकित्सालय बस स्टशेन	बस स्टेशन

(ग) मुख्यतः किसी शहर, नगर ग्राम या ऐतिहासिक स्थान, समाधि पर्यटक रूचि स्थल।

उदाहरण –

एलोरा गुफाएं	फरीदाबाद नगर

ह0....सभापति

(घ) सशस्त्र सेना के सदस्यों या जनता की सूचना के लिये रक्षा विभाग द्वारा परनिर्मित विज्ञाप–पट्ट या सूचना पट्ट आदि।

उदाहरण –

तोपखाना क्षेत्र

(ङ) क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर तक सीमित या उससे कम की सम्पत्ति के अतिचार का प्रतिबन्धित करने से संबंधी विज्ञापन पट्ट।

उदाहरण –

निजी सम्पत्ति	अतिचारी को अभियोजित किया जाएगा

(च) 0.2 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के विज्ञापन पट्ट या सूचना पट्ट, जो इस प्रकार लगाये गये हों कि वे किसी आवास की दिशा को प्रदर्शित करते हों और वे वाहन मार्ग से समुचित दूरी पर लगाये गये हों।

(ज) ऐसे विज्ञापन, जो भवन के बाहर अथवा तत्सृदश कार्य के लिए भूमि पर प्रदर्शित किये जायें, किन्तु इसका क्षेत्रफल 02 वर्गमीटर से अधिक न हो।

ऐसी भूमि, पर जिस पर विज्ञापन सप्रदर्शित किये जाये भवन सम्बन्धी या तत्सदृश कार्य किये जान से सम्बन्धित विज्ञापन के क्षेत्रफल में 02 वर्गमीटर से अधिक न हो।

सतर्क खुदाई प्रगति

(घ) किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक राजनैतिक सामाजिक या मनोरंजन सम्बन्धी प्रकृति के किसी स्थानीय घटना, जो ऐसा कार्यकलाप न हो, जिसे व्यावसायिक प्रयोजन के लिये प्रोन्नत किया या चलाया जा रहा है हो, की घोषणा करता हुआ विज्ञापन, जो किसी परिसर पर 0. 6 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र अध्यासित करने वाले विज्ञापन पट्ट के प्रदर्शन तक सीमित हो।

ह0....सभापति

उदाहरण –

दीवाली मेला	पुष्प प्रदर्शनी

(2) <u>अस्थाई विज्ञापन पट्ट :</u>

(एक) निर्माण स्थल संकेत : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद् के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान (अनुसूची–3 देखें) के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जाये।

(दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिये प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी सप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी पारिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है (नियम–15झ, (2) अस्थाई विज्ञापन पट के लिए आवश्यकता देखिए।

(5)अनुसूची 3 में दिये गये विज्ञापन पट्टो की गुणवत्तापूर्ण आवश्यकताओं के लिये किसी अनुज्ञा–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

21 <u>विशेष विज्ञापन</u>

(1) यदि अनुसूची–2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर परनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिय विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

22. <u>विशेष नियंत्रण का क्षेत्र</u>

ह0....सभापति

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस नियमावली में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञान विाापन युक्ति से नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके निरूपित होने की संभावना हो तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पालों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परनिर्माण औ प्रदेर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जेसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाये। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र को घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त का अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निण्प्रयक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था के नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ज्वैलर्स कैफे, ''डांसिंग' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

23. निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन लगाना, चिपकाना लेखन, आरेक्षण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकता है।

24. झण्डियों/बैनरों पर रोक

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी/बैनरों का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने का कार्य नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा नियम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन वाला कोई कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी/बैनर दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी/बैनर को हटा सकता है और उसे समयहृत या विनष्ट कर सकता है।

25 अनुरक्षण और निरीक्षण

(1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है अविलम्बो, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों हो दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग–रोगन किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

ह0....सभापति

26. **प्रवेश और निरीक्षण की शक्तिः**

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत कोई नियम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत के या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इसनियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में यो उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) सदैव समुचित ध्यान दिया जायेगा जिससे कि ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं से स्पर्द्धा किया जा सके, जिसके लिए प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं के लिये प्रवेश दिया जाए।

26– **कर भुगतान की रीति**

अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर दो समान किश्तों में अग्रिम रुप से संदेय होगा। जब तक प्रथम किश्त की पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब तक कोई विज्ञापन पट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

27– **क्षेत्रों का वर्गीकरण**

विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर के वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा–

(एक) सर्वोचित वर्ग

(दो) 'क' वर्ग

ह0....सभापति

(तीन) 'ख' वर्ग

(चार) 'ग' वर्ग

28— **हटाये जाने की लागत**

नियम—12 के उपनियम—(1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी—

(क)	6.1 मी0 X 3.05मी0 या उससे कम किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने की लागत	रु0 5000/—
(ख)	ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पटों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट को हटाने की लागत	रु0 8000/—
(ग)	किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को साफ करने की लागत	रु0 2000/—
(घ)	निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत	रु0 10000/—

29— **अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन**

(1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अनुसूची — 1

ह0....सभापति

(नियम 5(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

पासपोर्ट आकार का चित्र

आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम ....

अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम ....

पता ....

आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार ....

विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार ....

स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति ....

भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम ....

....

क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है?..

(एक) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाये।

(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि चूक की दशा में वह विज्ञापनकर्ता को देय कर के भुगतान का दायी होना, संलगन करें।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट

(एक) अनूसूची–2 के अनुसार वार्षिक कर

(दो) किश्त की धनराशि

कोई अन्य विवरण ....

....

ह0....सभापति

संलग्नक :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

अनुसूची–2
(नियम 26 देखें)
विज्ञापन और विज्ञापन पट पर कर की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन .... भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थ्लों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए –

प्रवर श्रेणी	:	रू0 2200 / – प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी	:	रू0 1500 / – प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी	:	रू0 1200 / – प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी	:	रू0 1000 / – प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2. इलेक्ट्रानिक / एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रकाशित / संचालित विज्ञापनपटों हेतु (1) में निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होंगी।

2. (1) निजी भूमि / भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 75 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

3. ऐसे विज्ञापन या विज्ञापन पट जो विद्युत प्रकाश युक्ति (बैक लिट / फ्रन्ट लिट) द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होगीं।

3. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

हल्का वाहन	:	रू0 500 / – प्रतिमाह प्रति वाहन
भारी वाहन	:	रू0 2000 / – प्रतिमाह प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर –

(एक) तीन पहिया	:	रू0 100 / – प्रति दिन
(दो) चार पहिया	:	रू0 500 / – प्रति दिन
(तीन) छः पहिया	:	रू0 1000 / – प्रति दिन

4. विद्युत तथा अन्य खम्बों पर विज्ञापन पट –

प्रवर श्रेणी	:	रू0 3000 / – प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी	:	रू0 2000 / – प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी	:	रू0 1500 / – प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

ह0....सभापति

"स" श्रेणी : रू0 1000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5. यूनीपोल/कैन्टीलीवर/गेन्ट्री

1. प्रवर श्रेणी : रु0 3500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2. "अ" श्रेणी : रु0 3000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. "ब" श्रेणी : रु0 2500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4. "स" श्रेणी : रु0 2000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

6. पोस्टर रू0 300/- प्रति सैकड़ा
7. परचा रू0 600/- प्रति हजार
8. पताका (बैनर) रू0 100/- प्रति बैनर
9. गुब्बारे रु0 500/- प्रति गुब्बारा प्रति दिन
10. छतरी (कैनोपी) रु0 500/- प्रति छतरी (कैनोपी) प्रतिदिन
11. ट्री गार्ड मद(1) के अनुसार
12. पुलिस बूथ/ट्रैफिक आइलैण्ड/कैन्टीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)

1. प्रवर श्रेणी : रु0 5000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2. "अ" श्रेणी : रु0 4000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. "ब" श्रेणी : रु0 3000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4. "स" श्रेणी : रु0 2000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

13. बस सायबान(बस शेल्टर)

1. प्रवर श्रेणी : रु0 4000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2. "अ" श्रेणी : रु0 3000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. "ब" श्रेणी : रु0 2000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4. "स" श्रेणी : रु0 1000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

14. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 03 माह का विज्ञापन कर मद सं0-1 के अनुसार लिया जायेगा।

ह0....सभापति

15. ध्वनि विस्तारक यंत्र रु0 100/— प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन

15(क) रेडियो चैनल से उद्‌घोषणा द्वारा विज्ञापन दर— रू0 1/— प्रति सेकेण्ड।

16. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, उनका विज्ञापन कर मद—1 के अनुसार देय होगा।

1. इस अनुसूची के निर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेंगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

2. स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत वृद्धि की गणना के उद्‌देश्य से रूपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।
3. नियम (26) के प्राविधानों के अधीन कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।
4. यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती है तो अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।
5. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक तथा 6 माह से कम अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो कर मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किश्त में देय होगा।
6. एक माह से कम अवधि हेतु विज्ञापन पट लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो एक माह का विज्ञापन कर देय होगा।

7. कर के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन) अपर नगर आयुक्त नगर आयुक्त

नगर आयुक्त ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा कानपुर नगर निगम के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दायर विज्ञापन नीति की याचिका को मा0 उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में विज्ञापन नीति तैयार की गई है, जो मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति के सदस्यों से अपेक्षा है कि इसे स्वीकृत करने का कष्ट करें जिससे उ0प्र0 शासन को भेजा जा सके और इस मद से होने वाली आय से कानपुर नगर का समुचित विकास कराया जा सके।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में कोई प्रभावी नीति न होने के कारण ही विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा मनमाने ढंग से जहॉ चाहती है, यूनीपोल या विज्ञापन पट लगा दिये जाते है।

ह0....सभापति

नगर आयुक्त ने पुनः स्पष्ट किया कि इन्हीं विवादों को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावी विज्ञापन नीति कानपुर नगर निगम द्वारा तैयार की गई है, जिसे प्रकाशित कर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे तदुपरान्त प्राप्त आपत्तियॉ मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ रखी जायेंगी। सदन के निर्णयानुसार शासन को नियमावली स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी। उ0प्र0 शासन से स्वीकृति प्राप्त कर तद्नुसार विज्ञापन एजेन्सियों से विज्ञापन कर वसूला जायेगा।

..................उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यालय महाप्रबन्धक,
जल कल विभाग, नगर निगम, कानपुर

प्रस्ताव–127

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथारिटी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अनर्तगत सीवरेज कार्यो हेतु प्राक्कलन, अनुमानित लागत रू0 443.33 करोड़ विरचित किया गया है जिसमें नगर के सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–1 के सभी 34 वार्डो (सूची संलग्न) को सम्मिलित कियागया है।

उपरोक्त सभी वार्डो में पुरानी बिछी हुई चोक सीवर लाइन की सफाई, कम साइज एवं खराब हो चुकी लाइन को बदलने, क्षतिग्रस्त मेनहोल के पुर्ननिर्माण तथा छूटे हुये क्षेत्रों में नयी सीवर लाइन बिछाने तथा 5 वर्षो तक रखरखाव में होने वाले व्यय से संबंधित कार्य सम्मिलित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 150 मि0मि0 व्यास से 2200 मि0मि0 व्यास की पुरानी सीवर लाइनों की लाइनिंग कर आवश्यकतानुसार स्ट्रेन्थनिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त कार्य हेतु नगर निगम द्वारा एम0ओ0ए0 पर हस्ताक्षर हेतु कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं।

Sl. No.	Ward No.	Ward Name	Sl. No.	Ward No.	Ward Name
01	01	Old Kanpur	02	04	Gwaltoli
03	09	Vishnupuri	04	45	Nawabganj
05	15	Parmat	06	13	Khalasiline
07	59	Civil lines	08	76	Sutheganj
09	29	Chunni Ganj	10	97	Harbansh Mohal
11	104	Hiraman Purwa	12	105	Dana Khori
13	107	Talak Mohal	14	110	Colonel Ganj
15	28	Krishna Nagar	16	29	Safipur
17	37	Harjindar Nagar	18	66	Jajmau South

19	86	Jajmau North	20	44	Om Purwa
21	70	Tiwaripur	22	71	Gandhi Gram
23	95	Chandari	24	02	Laxmipurwa
25	40	Anwar Ganj	26	84	Dalel Purwa
27	85	Cooper Ganj	28	92	Chattai Mohal
29	100	Patkapur	30	101	Maheshwari Mohal
31	102	General Ganj	32	103	Parade
33	106	Chowk Sarrafa	34	109	Collector Ganj

.... पढ़ा गया एवं स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	फर्म का नाम
128	शहर की मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 680 नग सोडियम चोक 250 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	995,622.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग
129	वार्ड–53 के मा0 पार्षद श्री निर्देश सिंह चौहान द्वारा वार्ड विकास निधि के अन्तर्गत अपने वार्ड में प्रकाश व्यवस्था हेतु 314 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	999,124.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
130	कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 200 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	637,200.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स

ह0....सभापति

131	वार्ड–55 एवं वार्ड–80 के विभिन्न चौराहों स्थापित 07 नग टावर पोलों पर 06–06 नग कुल 42 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	531,888.00	मे0 डी–कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा0लि0 मे0 एम.एम. सेल्स कार0
132	वार्ड–38 के मा0 पार्षद श्री आबिद अली द्वारा वार्ड विकास निधि के अन्तर्गत अपने वार्ड में प्रकाश व्यवस्था हेतु 176 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	563,206.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
133	नगर निगम मोतीझील मुख्यालय भवन में कम्प्लीट विद्युतीकरण हेतु 2300 मीटर 35^2 एम.एम. 3.5 कोर केबिल एवं नये पैनल बोर्ड के साथ नया बसबार बनाने इत्यादि के कार्य हेतु।	4(1)E2305902	991,814.25	मे0 वी0डी0 इलेक्ट्रिकल्स
134	नगर निगम मोतीझील मुख्यालय भवन में 2000 मीटर 4^2 एम.एम. कॉपर तार एवं 100 नग पावर प्वाइंट वायरिंग इत्यादि के कार्य हेतु।	4(1)E 2305902	996,176.32	मे0 वी0डी0 इलेक्ट्रिकल्स
135	शहर की मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 2000 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	966,000.00	मे0 एम.एम. सेल्स कार0
136	शहर की मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 680 नग सोडियम चोक 250 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	995,622.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग
137	नगर निगम मोतीझील स्थित सांस्कृतिक पार्क तुलसी उपवन में 130 नग नये 04 मी0 लम्बे पाइप मय 1850 मीटर 10 वर्ग एम. एम. 4 कोर इत्यादि के कार्य हेतु।	4(1)D 4103301	989,622.79	मे0 निर्मल इलेक्ट्रिकल्स
138	नगर निगम सीमा के अन्तर्गत समस्त 110 वार्डों में विकास कार्यों हेतु 05–05 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय कर लगवाये जाने के निर्देशों के अन्तर्गत शेष 38 वार्डों के लिये कुल 190 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	940,120.00	मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 एम.एम. सेल्स कार0

139	वार्ड–106 में समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट, सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं सहायक विद्युत सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	532,250.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 एम.एम. सेल्स कार0 मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
140	नागरिकों की मॉग पर नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त के द्वारा तत्काल प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशों के अनुसार 100 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय एवं अन्य सहायक सामग्री के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	563,300.00	मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 एम.एम. सेल्स कार0 मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स

.... पढ़े गये एवं स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–141 श्री राकेश साहू (पार्षद) एवं 28 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

प्रस्ताव

विषयः– पार्षदगणो को प्लाट आवंटन किये जाने के सम्बन्ध मे।

सविनय निवेदन है कि हम सभी पर्षदगण निवेदन करते हुये अवगत कराना चाहते है कि पूर्व में मा0 पार्षदगणों को एक–एक प्लाट व एक–एक दुकान आवंटित की गई थी। अतः माननीय महोदय आपसे निवेदन है कि नगर निगम की खाली पड़ी भूमि पर कानपुर के सभी निर्वाचित पार्षदगणों को एक–एक प्लाट बिना ब्याज पर आसान किस्तो में आवंटन करने की कृपा करे।

आपकी महान दया होगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि पूर्व में मेरे द्वारा मा0 पार्षदगणों से कहा जा चुका है कि नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि का चिन्हांकन अपने–अपने वार्डो में करा कर अवगत करावें ताकि नियमानुसार अनुमन्नता के आधार पर ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।

ह0....सभापति

टेबुल प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या–142

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

आपको अवगत कराना चाहते है कि नानाराव पार्क स्थित तरणताल के सम्बन्ध में मा0 महापौर जी को 20.11.2012 को पत्र लिखा था उसी दिनांक को आपकों भी पत्र लिखा था व पत्र के साथ नानाराव तरणताल के जीर्णोद्धार के लिये लिखा था और साथ में तरणताल के लिये प्रस्ताव भी दिया था मगर उस पर कोई कार्यवाही नही हुई, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में तरणताल प्रारम्भ होना है। अतः आपसे अनुरोध है कि तरणताल को प्रारम्भ करने के लिये मरम्मत कार्य हेतु तत्काल आदेश पारित करने की कृपा करें । यह कार्य जनहित में होना है।

.... मरम्मत हेतु परीक्षण करा कर कार्यवाही कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या–143

श्रीमती गीता देवी एवं पार्षदों के संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

श्रीमानजी पनकी साइड नं0–02 एवं 03 में एल.एम.एल. स्कूटर कम्पनी को जाने वाली सड़क जो बाईपास से एल.एम.एल. गेट तक जाती है के किनारे स्थित नाले व सड़क के बीच काफी जगह स्थित है, जिस पर क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण कर गाड़ियॉ खड़ी की जाती है और सब्जी बेचने वालों के द्वारा जगह घेरकर सब्जी की दुकानें लगायी जाती है।

फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले लेबरों (मजदूरों) द्वारा सब्जी खरीदने का कार्य भी उन्ही सब्जी बेचने वालों से किया जाता है। चूँकि आस–पास कोई सब्जी मण्डी न होने के कारण उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत उचित यही होगा कि खड़ी होने वाली गाड़ियों को हटाकर सब्जी मण्डी वालों के लिये 8X8 फुट का चबूतरा बना कर किराये पर दे दिया जाये जिससे नगर निगम की जगह का सदुपयोग हो सके और नगर निगम का कोष मजबूत हो।

इसी प्रकार से कानपुर महानगर में कई क्षेत्र उक्त समस्या से जूझ रहे है उक्त के आधार पर चबूतरों की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

.... परीक्षण करा कर कार्यवाही कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या–144

डा0 आलोक शुक्ल एवं पार्षदों के संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिये शादी विवाह हेतु धर्मशाला बनवाने के लिये ।

निवेदन है कि मेरे वार्ड में बर्रा–3 स्थित के0डी0ए0 मैदान/पार्क में धर्मशाला बनवाने हेतु पर्याप्त स्थान है। अतः पार्क के चारों ओर ई0डब्लू0एस0 के 500 मकान है तथा पूरे वार्ड में रहने वाले गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के यहॉ होने वाले पारिवारिक संस्कार कार्यक्रमों हेतु कम शुल्क में दिये जाने हेतु धर्मशाला बनवाने की सख्त आवश्यकता है, जिससे नगर निगम को भी प्रत्येक कार्यक्रम में आय होगी और जन सुविधा भी प्राप्त होगी।

ह0....सभापति

.... परीक्षण करा कर कार्यवाही कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या–145

श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय एवं पार्षदों के संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– वार्ड–7 निराला नगर में कूड़ा घर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में।

निराला नगर में डा0 गुरूदीप की दुकान के आगे 127/यू/2 के पास कूड़ा घर बना हुआ था, जो बिलकुल ध्वस्त हो गया है, वहॉ पर कुछ लोगो ने अपने वाहन वगरह खड़े करना शुरू कर दिया है। ऐसी दशा में कूड़ा घर का पुनः निर्माण कराना अति आवश्यक है। कूड़ा डालने की जगह न होने के कारण क्षेत्र में गन्दगी व्याप्त रहती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कूड़ा घर का निर्माण पुनः उसी नियत स्थल पर करा दिया जाये एवं नगर निगम का कूड़ा घर कब्जा होने से बचाया जाये।

.... परीक्षण करा कर कार्यवाही कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या–146

श्री आलोक दुबे द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– कानपुर नगर में नगर निगम बारातशाला जो आर्य नगर में पुनः निर्माण कराके तथा बगल में पड़ी खाली भूमि पर लोगो की कब्जो को हटाकर बारातशाला में जोड़कर पुनः बड़े बारातशाला का निर्माण।

इस प्रस्ताव के माध्यम से आपका व मा0 कार्यकारिणी का ध्यान जवाहर नगर स्थित कमला नेहरू पार्क बारातशाला की ओर आकर्षित कराना चाहता हूॅ कि यदि इसकी रिपेयरिंग गेट इत्यादि लगाकर व बगल में पड़ी खाली भूमि जो कि नगर निगम की है, में जोड़कर यदि बड़ा बारातशाला का निर्माण होता है तो नगर निगम की आय में वृद्धि होगी तथा नगर निगम का जनहित में सहयोग होगा।

.... परीक्षण करा कर कार्यवाही कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या–147

श्री राज किशोर यादव द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

नगर निगम कार्यकारिणी ऐसा महसूस करती है कि नगर निगम की आय बढ़ोत्तरी हेतु सभी पार्षदों को प्रयासरत रहना चाहिये। इसी को देखते हुये आपकों अवगत कराना है कि गुरूदेव पैलेस से चिड़िया घर को जाने वाली सड़क के बाई या दायी ओर रोडवेज वर्कशॉप के बगल से एच0बी0टी0आई0 व प्राणि उद्यान बाउण्ड्री से लगी हुई नगर निगम की काफी जमीन है, जिसमें यदि दुकानें बना दी जाये तो नगर निगम को करोड़ों रूपये का लाभ हो सकता है व कई लाख रूपये टैक्स की बढ़ोत्तरी हो सकती है तथा इस नगर निगम की खाली जमीन पर तमान अनाधिकृत कब्जे इत्यादि से नगर निगम को निजात मिलेगी, जिससे की नगर निगम को आये दिन इन कब्जों को हटाने में जो लाखों रूपयें का नुकसान होता है व

ह0....सभापति

जनाक्रोश का भारी सामना, सड़क जाम इत्यादि मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस प्रस्ताव से नगर निगम को करोड़ों की आय होगी तथा तमाम अवैध कब्जों से निजात मिलेगी। नई दुकान मिलने से लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा।

.... **परीक्षण करा कर कार्यवाही कराई जाये।**

प्रस्ताव संख्या–148

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

इस प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि शहर में सुअरों की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, जो शहर के प्रत्येक मोहल्लों में घुसकर गन्दगी व बीमारी फैला रहे है, यदि इन आवारा सुअरों को शहर से बाहर करने हेतु आवश्यक कदम शीघ्र न उठायें गये तो यह संख्या विकराल रूप धारण कर सकती है।

चूँकि पूर्व में कानपुर नगर निगम ने सफलता पूर्वक शहर को सुअर मुक्त किया था। अतः पुनः उसी प्रकार मजबूत इच्छा शक्ति व विशेष कार्य योजना बनाकर इस समस्या से शहर वासियों को निजात दिलाई जा सकती है।

अतः निवेदन है कि इस समस्या को गम्भीरत से लेते हुये उचित निर्णय लेकर जनहित में आवश्यक कार्यवाही करायें।

.... **नियमानुसार कार्यवाही कराई जाये।**

प्रस्ताव संख्या–149

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' उप सभापति द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

निवेदन है कि शिक्षिकायें नगर निगम द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विगत लगभग दस वर्षो से भी अधिक समय से कार्यरत है।

महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहूॅगा कि इन शिक्षिकाओं की नियुक्ति पुनः विज्ञापन व चयन प्रक्रिया के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा अंशकालिक पद पर की गई है।

महोदय आपसे अनुरोध है कि जहॉ एक ओर शिक्षिकाओं को छठवें वेतन का लाभ दिया जा रहा है, वहीं ये शिक्षिकायें मात्र रू0 05–06 हजार प्रतिमाह पर कार्यरत है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि वर्तमान में विद्यालयों में जो पद रिक्त चल रहे है उन पदों पर उम्र की वरिष्ठता को आधार मानते हुये इन शिक्षिकाओं को समायोजित किया जाये ताकि ये सभी शिक्षिकायें स्वस्थ मानसिकता से अपने शिक्षण काय्र को सुचारू रूप से कर सकें।

.... **नियमानुसार कार्यवाही कराई जाये।**

प्रस्ताव संख्या–150

श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– कानपुर नगर में नगर निगम की आय वृद्धि करने हेतु गृहकर न बढ़ाकर बल्कि नगर निगम की निष्प्रयोज्य पड़ी अरबों की भूमि पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाये जाने, राष्ट्रीय फेरी नीति लागू किये जाने तथा नगर में अवैध रूप से लगाये जा रहे होर्डिंग व विज्ञापन पर टैक्स लगाये जाने के सम्बन्ध में।

सादर इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं आपका व मा0 कार्यकारिणी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूॅ कि विगत दिवस में कानपुर नगर के सम्मानित भवन स्वामियों पर गृह कर की वृद्धि किये जाने की सूचना व गजट सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। यह भी सच है कि नगर में विकास कार्यो को कराने जाने के लिये नगर निगम की आय का बढ़ाया जाना अति आवश्यक है किन्तु आय बढ़ाये जाने के नाम पर सम्मानित भवन स्वामियों पर गृह कर की वृद्धि करना उक्त भवन स्वामियों के साथ अन्याय होगा।

यहॉ पर यह भी अवगत कराना अति आवश्यक है कि उ0प्र0 शासन की ओर से आये पत्र में कहीं पर भी यह नही कहा गया कि कानपुर नगर की जनता पर गृह कर की वृद्धि की जाये बल्कि शासन के पत्र में कानपुर नगर निगम को सिर्फ अपनी आय में वृद्धि करने को कहा गया है लेकिन नगर निगम नगर की जनता पर गृह कर की वृद्धि करके ही अपनी आय में वृद्धि करना चाहती है। अन्यत्र किसी भी अन्य साधन व संसाधन से आय की वृद्धि का प्रयास कर लिया जाये तो आय के अनेक श्रोत जो कि नगर निगम कर्मियों की मिलीभगत/लापरवाही की वजह से छूटे हुये है उनसे ही नगर निगम को भारी आय वृद्धि होगी।

यदि नाम मात्र ही प्रयास कर लिया जाये तो कानपुर नगर में नगर निगम की स्वामित्व वाली अरबों रूपये की भूमि निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है जिन पर अनेक स्थानों पर नगर निगम के कर्मियों की मिलीभगत से कब्जे हो चुके है व प्रयास किये जा रहे है। वहीं कुछ स्थानों पर आज भी बेशकीमती खुली भूमि पड़ी हुई हैं। जैसे कि चुन्नीगंज वर्कशाप, 99/34, बेकनगंज तथा बी0पी0 श्रीवास्तव मार्केट, परेड आदि। यदि इन स्थानों पर व्यवसायिक प्रतिष्ठाानों की स्थापना करा दी जाये तो अनेक स्थानीय व मल्टी नेशनल कम्पनियॉ उक्त प्रतिष्ठानों में अपने कार्यालय तथा रिटेल स्टोर हेतु ऊॅची किराया दरों पर इनकों ले सकती है जिससे नगर निगम के आय पर अभूतपूर्व वृद्धि होगी। वहीं नगर में तहबजारी बन्द होने के उपरान्त 'राष्ट्रीय फेरी नीति' को लागू करने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा निर्देशित व आदेशित करा जाता है किन्तु कोई कार्यवाही नही की जाती है। वर्षो से नगर निगम को भारी राजस्व की हानि पहुॅच रही है। वहीं नगर में अवैध रूप से विज्ञापन पट लगाकर कुछ विज्ञापन एजेन्सियॉ नगर निगम को करोड़ो रूपये का चूना लगा रही हे। इस कार्य में नगर निगम के कुछ कर्मी भी शामिल है। उदाहरण स्वरूप यह एजेंसियॉ नगर निगम से दस होर्डिंग की अनुमति प्राप्त करती है और उन्ही दस की अनुमति पर सैकड़ों की संख्या में होर्डिंग व बैनर लगाये जाते है। यहॉ पर यह भी अवगत कराना अति आवश्यक है कि इनके द्वारा अनुमति पत्र में स्थल नही दर्शाया जाता है।

अतः आपसे व मा0 कार्यकारिणी से अनुरोध है कि जनहित में उक्त बढ़े हुये गृह कर को वापस लिया जाना अति आवश्यक है तथा विकास कार्यो को कराये जाने के लिये आय वृद्धि हेतु नगर निगम की खाली पड़ी भूमियों पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना, राष्ट्रीय फेरी नीति को लागू करनें तथा नगर में अवैध रूप से लगाये जा रहे विज्ञापन पटों पर टैक्स लगाकर नगर निगम के राजस्व में भारी वृद्धि की जा सकती है तथा नगर की जनता पर गृहकर न बढ़ाकर ऊपर लिखें बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षित करते हुये इन प्रस्तावों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश पारित करने का कष्ट करें ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

ह0....सभापति

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि भौगोलिक सूचना पद्धति (जी0आई0एस0) के सर्वे के तहत जो सामान्य कर में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की जा रही है, उसे 08 प्रतिशत किया जाये।

मो0 इरफान ने कहा कि सामान्य करों में 05 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि वर्ष 2006–07 में जी0आई0एस0 सर्वे करा कर सामान्य कर निर्धारण किया गया था, 06 वर्षो के अन्तराल के बाद 15 प्रतिशत वृद्धि कोई ज्यादा नही है और नगर निगम का मुख्य श्रोत सामान्य कर ही है। सामान्य कर की वसूली गई धनराशि के सापेक्ष ही विभिन्न वार्डो में विकास कार्य कराये जाते है। जी0आई0एस0 सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य कर से छूटे हुये भवनों को कर की परिधि में लाना तथा नगर निगम की सम्पत्ति का चिन्हांकन किया जाना है। साथ ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसा पूर्व में सदन की बैठक में मेरे द्वारा कहा जा चुका है कि जिस वार्ड में शत्प्रतिशत वसूली होगी उसे आदर्श वार्ड मानकर विशेष रूप से विकास कार्य कराया जायेंगे। राज्य वित्त आयोग के मद में प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम कर्मचारियों को वेतन पेंशन का भुगतान कराने के उपरान्त अवशेष धनराशि से भी विकास कार्य कराये जाते है। नगर निगम की आय के सीमित संसाधन है। अतः मा0 कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि सामान्य कर में 15 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि को स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नीतियों एवं नियमों तथा नगर निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही कराई जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में गृहकर में भी नगर निगम द्वारा वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

.... उपरोक्त प्रस्ताव को उ0प्र0 शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–151</u>

श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– कानपुर नगर में अंग्रजों के नाम से स्थापित नगर के विभिन्न मुहल्ले के नाम बदलकर नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं मा0 कार्यकारिणी का ध्यान कानपुर नगर के विभिन्न मोहल्लों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ, जिनके नाम अंगेजों के नाम पर होने के बावजूद आज भी आम बोलचाल व लिखापढ़ी में इस्तेमाल हो रहे है। आजादी के 66 वर्ष बीतने के बाद भी हमारे द्वारा इन इलाकों के नाम यथावत् उन अंग्रजों के नाम से पुकारे जा रहे है। जिन्होंने देश आजाद होने के पहले हम भारतीयों पर जुल्म किये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नही हो पाये है। उदाहरण स्वरूप कुछ इलाकों के नाम आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ जैसे कि मेस्टन रोड, बेकन गंज, कूपर गंज, एलन गंज तथा मैकराबर्टगंज आदि।

जबकि उ0प्र0 सरकार के मुखिया प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री मा0 अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार प्रदेश वासियों में देश भक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से 'जय हिन्द बोलिये' की होर्डिंग्स व बैनर लगाकर प्रचार व प्रसार किया जा रहा हैं।

अतः आपसे व मा0 कार्यकारिणी के समक्ष मेरा प्रस्ताव है ि कइस तरह के मोहल्लों के नाम बदलकर इस देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले कानपुर नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रख दिये जाये ताकि आम लोगो में देश भक्ति की भावना उत्पन्न हो सके। यह उन देश भक्तों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

.... प्रस्ताव उचित है परीक्षण करा कर कार्यवाही कराई जाये।

ह0....सभापति

<u>प्रस्ताव संख्या–152</u>

डा0 शिवाकान्त मिश्रा, अध्यक्ष व डा0 पंकज गुलाटी, सचिव, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, कानपुर शाखा द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विदित हो कि इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन कानपुर शाखा ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष इसी वर्ष पूर्ण किये है व प्रस्तुत वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा हैं। आई0एम0ए0 कानपुर शाखा सम्पूर्ण भारत वर्ष में एक मात्र ऐसी शाखा है जिसे इस प्रकार शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में कानपुर शाखा सदस्य संख्या के आधार पर भारत वर्ष की पांचवी व उ0प्र0 की प्रथम शाखा है। शाखा के सभी सदस्य शत्त समाज सेवा में अपने चिकित्सकीय ज्ञान से सदा से ही तत्पर है तथा अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल कर सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुरक्षित करते आये है। शताब्दी वर्ष के संदर्भ में वर्ष पर्यन्त विभिन्न सरकारी सामाजिक सेवा हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये है, जिसमें वृहद स्वास्थ्य मेला, अनेक चिकित्सा शिविर व जन जागरूकता अभियान सम्मिलित है। इसी कड़ी में वृहद वृक्षारोपण भी सम्पन्न हुआ इस विशिष्ट कार्य के लिये नगर निगम के सक्रिय सहयोग से हैलट अस्पताल के सामने व पेट्रोल पम्पन के बगल की सड़क को चिन्हित किया गया। इस मार्ग को चिन्हित करने का कारण इस मार्ग का नगर निगम का अति विशिष्ट परियोजना होना तो है ही, साथ ही साथ यह एशिया के प्रतिष्ठित लाला लाजपत राय चिकित्सालय (हैलट) के निकट है वह इस पर आई0एम0ए0 के बहुत से सदस्यों की कार्य स्थली व निवास का होना भी है।

निवासी सदस्यों की हस्ताक्षरित सूची संलग्न है।

अतः प्रासंगिक है कि उक्त मार्ग का नामकरण **'आई0एम0ए0 शताब्दी मार्ग'** के रूप में किया जाये यह न केवल आई0एम0ए0 कानपुर शाखा वरन् कानपुर नगर के लिये गौरव का विषय होगा इससे आई0एम0ए0 के इतने गौरवशाली वर्ष की स्मृति सदा के लिये अमृत्व को प्राप्त होगी।

मान्यव, सदा से ही नगर निगम का सम्पूर्ण सहयोग इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन को मिला है व आई0एम0ए0 द्वारा भी सदा से प्रमुख सहयोगी की भूमिका का निर्वहन किया गया है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि इस विषय में आपके द्वारा विचार कर सकारात्मक उत्तर प्राप्त होगा व आपका सहयोग मिलेगा ऐसी हमे आशा ही नही अपितु विश्वास है।

.... हैलट अस्पताल के सामने व पेट्रोल पम्प के बगल की सड़क का नामकरण 'आई0एम0ए0 शताब्दी मार्ग' किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–153</u>

श्री आर0के0सिंह, स्क्वाड्रन लीडर (से0नि0) संगठन मंत्री, पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कानपुर नगर एवं श्रीमती प्रभा यादव, एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना::–

<u>ALLOCATION of FUND FOR VIJAI DIVAS</u>

ह0....सभापति

Poorve Sainik Sewa Parishad Kanpur Celebrated “Vijai Divas” every year since 1997. it is one of the declared ‘Utsav’ by PSSP. The Sangathan feels difficulty in celebration of “Vijai Divas” due to lack of fund as such the important National event is not celebrated in befitting manner.

It is requested that the allocation of fund about one lack be passed by Nagar Nigam House for this National Event. It is suggested that the Function will be celebrated by PSSP and Nagar Nigam in celebration where organization will be done by PSSP. The PSSP is the largest Organization Having 800 ESM enrolled in Kanpu alone.

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–154</u>

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– नगर निगम द्वारा गृहकर किराये की बढ़ोत्तरी के रेटों में आपत्ति दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 14.03.2013 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में गृहकर निर्धारण के सम्बन्ध में विभिन्न चौड़ाई की सड़कों के पास स्थापित भवनों के सम्बन्ध में प्रति वर्गमीटर की दर से सामान्य कर निर्धारण की सूचना प्रकाशित की गई है। उक्त के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिनांक 15.12. 2012 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक में मेरे वक्तव्य

“नगर निगम अधिनियम–1959 के पेज नं0 314 पर धारा 4(क) में न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण में नगर आयुक्त को वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्षो में न्यूनतम किराये की दर बढ़ाये जाने का प्राविधान है, जबकि पूर्व में नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत किराया एवं समस्त कर बढ़ाये जाने का अधिकार कार्यकारिणी सभापति एवं नगर निगम सदन में निहित था। इस धारा को संशोधित किये जाने हेतु सदन में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करते हुये नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–4 में संशोधन करने हेतु शासन को भेजा जाये और जब तक भेजे गये प्रस्ताव पर उ0प्र0 शासन का निर्णय प्राप्त न हो जाये तब तक 10 से 15 प्रतिशत तक किराये की बढ़ोत्तरी लागू किये जाने हेतु कार्यवाही न की जाये। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने हेतु उ0प्र0 शासन को पत्र भेजने के निर्देश प्रदान किये गये है।”

जबकि 2008 जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर कानपुर भवन स्वामियों के ऊपर गृहकर की बढ़ोत्तरी का बोझ डाला गया था। सर्वे एजेन्सी के द्वारा गलत तरीके से ए0आर0वी0 का निर्धारण किया गया जिसकी आपत्तियॉ आज दिनांक तक नगर निगम के द्वारा संशोधित की जा रही है, जिससे भवन स्वामियों को काफी समस्या व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उक्त सर्वे एजेन्सी के द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट नगर निगम को मोहिया कराई गगई उनमें लाखें खामियॉ पाई गई है। इन आपत्तियों का निस्तारण 2008 से निरन्तर चल रहा है जिनका अभी तक निस्तारण किया जा रहा है। नगर निगम के कर निर्धारण विभाग द्वारा निस्तारित की जा रही है।

उक्त के सम्बन्ध में आपकों अवगत कराया जाना है कि पुनः नगर निगम के द्वारा भवन स्वामियों के भवनों का सर्वे प्राइवेट कम्पनियों के द्वारा ऑफर आमंत्रित किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित किया गया है, जबकि 2008 के सर्वे में यह स्पष्ट रूप से देखने में आया है कि सर्वे

ह0....सभापति

कम्पनी के द्वारा भवन स्वामियों के ऊपर गलत ए0आर0वी0 एवं टैक्स लागू किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। उक्त को तत्काल रोकने की कार्यवाही की जाये।

कृपया उपरोक्त सदन द्वारा लिये गये निर्णय के प्रति अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या उ0प्र0 शासन को भेजे गये प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है ? या सदन की निर्णय को दर किनार कर गृहकर निर्धारण हेतु दरें प्रकाशित की गई है ? जबकि आपके द्वारा सदन को अवगत कराया गया था कि अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव गृहकर बढ़ाये जाने का नही है। दिनांक 15.12.2012 के सदन में चर्चा के दौरान आप द्वारा अवगत कराया गया था कि सदन व कार्यकारिणी में चर्चा के दौरान ही कार्यवाही की जायेगी, जबकि यह निर्णय किया जा चुका था तो इतनी शीघ्रता क्यों की गई ? विस्तृत जानकारी एवं कार्यवाही को सदन की बैठक होने तक रोका जाये। अवगत कराया गया कि मा0 महापौर द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

.... नियमानुसार कार्यवाही की जाये

प्रस्ताव संख्या–155

श्री अतुल त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ कि विगत कई वर्षो पूर्व अपनी जिम्मेदारी निभाते हुये तत्कालीन अपर जिलाधिकारी एवं पी0सी0एस0 स्व0 सी0पी0पाठक दंगाईयों एवं असामाजिक तत्वों से मुकाबला करते हुये शहीद हो गये थे।

जनमानस एवं वार्ड 11 की जनभावनाओं के अनुसार कृपया रामबाग पार्क का नामकरण अमर शहीद स्व0 सी0पी0पाठक रामबाग पार्क कर दिया जाये।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–156

श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

सम्मान पूर्वक अवगत कराना है कि आगामी मौसम गर्मी का आ रहा है पेयजल हेतु हैण्डपम्प की किल्लत पूरे शहर में है, जनता भीषण गर्मी में हैण्डपम्प की पार्षदों से मॉग कर रही है।

इस सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत जनहित में प्रस्ताव है कि जो पार्षद निधि रू0 750000/– लाख लगभग पार्षदों के सैर करने को है उसे पार्षदों के क्षेत्र में उपरोक्त निधि से हैण्डपम्प लगवाने की कृपा करें।

नगर आयुक्त द्वारा बल्क में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन किया जाना व्यवहारिक न पाते हुये सुझाव दिया गया कि रिबोर योग्य हैण्डपम्पों में सभी का निरीक्षण कराकर, उन्हें यथा योग्य चालू हालत में किये जाने की कार्यवाही जलकल विभाग करेगा।

.... कार्यकारिणी द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अन्त में सभापति ने नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं नगर निगम के सभी अधिकारियों तथा समिति के सदस्यों को आगामी होली की हार्दिक शुभकामनायें देते हुये आज दिनांक–21.03.2013 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त

ह0....सभापति

करने हेतु समिति के सदस्यों से कहा । जिस पर सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक 21.03.2013 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि कीई ।

धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद सभापति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

ह0...सभापति
(महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू'')
सभापति